वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2017-18

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2017-18

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की अनुषंगी)

पंजीकृत कार्यालय : हाउस नं . 42, प्रथम तल, आनंद नगर

हकिमपाड़ा, अंगुल (ओड़िशा)

वार्षिक प्रतिवेदन की विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा/परीक्षक	1-3
2.	सूचना	4-4
3.	निदेशकों के रिपोर्ट	5-11
4.	लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन	12-22
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	23-23
5.	सचिवीय लेखा परीक्षक के रिपोर्ट	24-27
6.	वार्षिक रिटर्न	28-32
7.	31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलनपत्र	33-34
10.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण	35-36
12.	तुलनपत्र एवं लाभ- हानि लेखा के अंश स्वरूप टिप्पणियां	37-118
13.	नकद प्रवाह विवरण	119-119

वर्तमान प्रबंधन

(दिनांक 08.07.2018 के अनुसार)

अध्यक्ष

1. श्री के आर वासुदेवन , निदेशक(वित्त), एमसीएल, (from 02.02.2018)

नोमिनी निदेशक

2. श्री ओ.पी. सिंह, निदेशक(त/यो एवं परी), एमसीएल
3. श्री जे. पी. सिंह, निदेशक(त/संचालन) एमसीएल
4. श्री एल. एन. मिश्रा, निदेशक(कार्मिक), एमसीएल
5. श्री एस. अशरफ, उपसचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
6. श्री डी. भट्टाचार्जी, आर.डी. आरआई-VII, सीएमपीडीआई
7. श्री संदीप गोखले, जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड
8. श्री विनायक भट, जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड
9. श्री सक्ति ब्रत दासगुप्ता, श्याम मेटलिक एवं एनर्जी लिमिटेड
10. श्री एस. एस. उपाध्याय, जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड

2017-18 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष

1. श्री के आर वासुदेवन , निदेशक(वित्त), एमसीएल, (from 02.02.2018)

2. श्री ओ.पी. सिंह, अध्यक्ष, निदेशक(त/यो एवं परी), एमसीएल (01.08.2017 से 01.02.2018)

3. श्री के.के. परिडा, पूर्व निदेशक(वित्त), एमसीएल (सेवानिवृत) (31.07.2017 तक)

नोमिनी निदेशक

4. श्री जे. पी. सिंह, निदेशक(त/संचालन) एमसीएल

5. श्री एल. एन. मिश्रा, निदेशक(कार्मिक), एमसीएल

6. श्री एस. अशरफ , उपसचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

7. श्री डी. भट्टाचार्जी, आर.डी. आरआई-VII, सीएमपीडीआई

8. श्री संदीप गोखले, जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड

9. श्री विनायक भट, जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड

10. श्री सक्ति ब्रत दासगुप्ता, श्याम मेटलिक एवं एनर्जी लिमिटेड

11. श्री एस. एस. उपाध्याय, जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड

मुख्य कार्यकारी अधिकारी /महाप्रबंधक

श्री एम. जी. ब्रह्मापुरकर

कंपनी सचिव एवं उप-प्रबंधक (वित्त)

श्री सत्यबान राउत

बैंकर्स

1. भारतीय स्टेट बैंक
तालचेर
2. ऐक्सिस बैंक
तालचेर

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स एम. के. स्वाईं एवं सहयोगी
चार्टर एकाउंटेंट
हाउस ऑफ - सोमनाथ प्रहराज द्वितीय तल,
सतीचौरा रोड चाँदिनीचौक, कटक -753002

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स एन. सी. नायक एंड कंपनी
एचआईजी-115, प्रथम तल्ला, धर्मा विहार,
खंडागिरी, भुवनेश्वर -751030

पंजीकृत कार्यालय
हाउस नं . 42, प्रथम तल
हकीमपाड़ा, अंगुल -759143

एमजेएसजे कोल लिमिटेड
हाउस नं . 42, प्रथम तल, आनंद नगर
हाकिमपाड़ा, अंगुल-759153
फोन नं -06760-261094, फैक्स-06760-261184

संदर्भ संख्या . एमजेएसजे/सीईओ/सीएस/एजीएम-10/2018/0406/01 **दिनांक : 04.06.2018**

<u>सूचना</u>

<u>10 वीं वार्षिक सामान्य बैठक</u>

सूचना दी जाती है कि एमजेएसजे लिमिटेड के सदस्यों की 10 वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 25 जून, 2018शुक्रवार दोपहर 3:00 पंजीकृत कार्यालय/ हाउस नं . 42, प्रथम तल, आनंद नगर हाकिमपाड़ा, अंगुल-759153 में निम्नलिखित कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित होगी।

<u>सामान्य कार्य:</u>

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षित लेखा, लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन तथा निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करने, उन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु।

2. बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स एम. के. स्वाइन एवं सहयोगियों, चार्टर एकाउंटेंट, तालचेर जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए नियुक्त किया गया था, को देय पारिश्रमिक की स्वीकृति देना और इसे लागू करने हेतु निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए।

"निदेशक मंडल के निर्णयानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि हों तो, उसके तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स एम. के. स्वाईं एवं सहयोगियों, चार्टर एकाउंटेंट, तालचेर, सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं जेब खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए संकल्प लिया गया।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
एमजेएसजे कोल लिमिटेड
ह/-
(एस. राउत)
कंपनी सचिव और उप-प्रबंधक(वित्त)

पंजीकृत कार्यालय :
हाउस नं. 42, प्रथम तल, आनंद नगर
हाकिमपाड़ा, अंगुल-759153

टिप्पणी :

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार सदस्य को खुद के बजाय भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
   बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने का विचार रखने वाले कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से वोट देने के लिए प्राधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक को अल्पावधि के सूचना पर बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

निदेशकों के प्रतिवेदन

प्रिय,

शेयरधारक

एमजेएसजे कोल लिमिटेड,

सज्जनों,

मुझे एमजेएसजे कोल लिमिटेड की 10 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए अपार खुशी हो रही है। मैं मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों), वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.9.2014 को उत्कल-ए कोयला ब्लॉक को रद्द करने तक आपकी कंपनी ने अनुसूची के अनुसार सभी गतिविधियां जारी रखी है।

I. परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति –

परियोजना प्रतिवेदन - कोयला और ओबी आउटसोर्सिंग वैरीयेंट दोनों के लिए एमसीएल बोर्ड द्वारा फरवरी 2008 को 15 एमटीवाई क्षमता को अनुमोदित किया गया। स्वीकृत पूंजी रु. 395.87 करोड़ है। हालांकि एमजेएसजे कोल लिमिटेड द्वारा उत्कल-ए ब्लॉक जो गोपालप्रसाद ओसीपी के संयुक्त ब्लॉक का हिस्सा है पर किए गए कार्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 24.09.2014 के आदेश के अनुसार रद्द कर दिया है।

- **अनुमोदित खनन योजना** : एमजेएसजे कोल लिमिटेड के नाम पर स्वीकृति दिनांक 23/04/09 को प्राप्त हुई है।
- **वन भूमि विभाजन प्रस्ताव (एफ़एलडीपी)** – यह कार्य बाहरी स्त्रोत मेसर्स जियो कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया।
  - क) वन क्षेत्र की सीमा और पेड़ों की गणना पूरी हो गई है।
  - ख) क्षतिपूर्ति वनीकरण : साइट की पहचान और सीमांकन पूरा हो गया है।
    डीएफ़ओ, अंगुल द्वारा साइट जांच पूरी हो गई है। इसे एमसीएल के आरपीडीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  - ग) वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, सभी दस गांवों में ग्राम सभा पूरी हो चुकी है। एसडीएलसी 27 अप्रैल को आयोजित किया गया था और कलेक्टर, अंगुल द्वारा एनओसी जारी किया गया।
  - घ) एमओईएफ़, नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार, वन भूमि का डिजिटलीकरण अनिवार्य है। डिजिटलीकृत मानचित्र को ओआरएसएसी, बीबीएसआर द्वारा प्रमाणित किया जाना है। वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनिवार्य डीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और ओआरएसएसी और डीएफओ, अंगुल द्वारा वन क्षेत्र की डीजीपीएस योजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

II पर्यावरणीय प्रबंधन योजना –

क) **एमओईएफ, दिल्ली द्वारा दिसम्बर 2008 में संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप देना –** दिनांक 17-08-2009 को ईएमपी-ईआईए मसौदा एसपीसीबी, ओड़िशा को प्रस्तुत किया गया। खदान की स्थापना हेतु रु. 3 लाख के शुल्क के साथ आवेदन एसपीसीबी को जमा की गई। अंतिम ईएमपी एमओईएफ को प्रस्तुत किया गया। एमओईएफ के ईएसी से पहले टीओआर के आधार पर ईसी के लिए प्रस्तुतीकरण दिनांक

29.03.2011 को किया गया था। बाद में, एमओईएफ के ईएसी से पहले टीओआर के आधार पर ईसी के लिए दिनांक को 09.01.2013 प्रस्तुत की गई। दिनांक 09/01/2013 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में ईएसी ने दिनांक 05/11/2013 को ईसी को अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है। वन मंजूरी चरण- I अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है, ईसी अनुदान के लिए ईएसी की सिफारिश अमान्य है क्योंकि तब से एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

ख) **वन्यजीव संरक्षण –** डीएफ़ओ द्वारा रिपोर्ट अनुमोदित की गई तथा उसे आरसीसीएफ़, अंगुल को प्रेषित किया गया। वन्यजीव प्रबंधन योजना को पीसीसीएफ़, (डबल्यूएल), ओड़िशा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

ग) **सामाजिक –आर्थिक अध्ययन –** सामजिक-आर्थिक अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट कलेक्टर, अंगुल को प्रस्तुत की गई। इसे एमसीएल के आरपीडीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया।

III : <u>भूमि अधिग्रहण</u>

क**) वेस्ट गोपाल प्रसाद वेस्ट -** एमसीएल के नाम पर भूमि सीबीए (ए और डी) अधिनियम' 1957 के तहत अधिग्रहित की गई है।

4(1)	30.06.2003
7(1)	15.10.2004
9(1)	20.01.2007
11(1)	25.09.2007

ख**)** उत्कल "ए" : भूमि अधिग्रहण अपने अंतिम चरण में निम्न रूप में है :

4(1)	26.03.2011
7(1)	11.04.2012
9(1)	01.02.2013
11(1)	13.02.2013 को आवेदन एमओसी को प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 29.10.2013 को भूमि एमजेएसजे में निहित है।

ग**) अन्य बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण -** अन्य बुनियादी ढांचे के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित 50.351 हेक्टर के माप की भूमि को एमजेएसजे की 17 वीं बोर्ड की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। एमओसी की मंजूरी के बाद, इसे दिनांक 12.03.2012 को आगे की कार्रवाई के लिए एमओसी द्वारा कलेक्टर, अंगुल को भेज दिया गया है। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एमसीएल, अंगुल द्वारा वांछित के रूप में, सभी आवश्यक चीजें जमा कर दी गई हैं। भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अंगुल द्वारा नई भूमि अधिग्रहण अधिनियम '2013 के अनुसार एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वापस कर दी गई है।

घ**) काश्तकारी भूमि -** भूमि के इस हिस्से को सीबीए अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया गया है और और भालुगड़िया और बाघुआबुल गाँव में संरचना (बनावट) माप पूरी हुई। उनके रोजगार के फैसले पर निर्णय न होने तक कंकराई और पिरखमान ग्रामवासी बनावट माप की अनुमति नहीं दे रहे थे। विभिन्न बैठकें एमसीएल, जिला प्रशासन और परियोजना प्रभावित व्यक्ति के बीच हुई है। इससे पहले, परियोजना प्रभावित व्यक्ति केवल एमसीएल से नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन कई बैठकों के बाद

उन्होंने कहा कि खान के शुरुआती बंद होने के मामले में, शेष भू-स्थापित जो अभी भी सेवा में है, उन्हें एमसीएल खदानों में रोजगार दिया जाएगा।

मामले को एमजेएसजे कोल लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 24 वीं बैठक में रखा गया और बोर्ड ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया, और इसके पश्चात इस पर विचार करते हुए निम्न संकल्प पारित किया :

क) संकल्प किया गया है कि भू-विस्थापितों की सेवाओं की निरंतरता की पूरी देयता उनके अधिवर्षिता तक पूरी तरह से एमजेएसजे कोल लिमिटेड द्वारा वहन / प्रतिपूर्ति की जाएगी और इस प्रभाव के लिए एमसीएल को कॉर्पोरेट गारंटी देने हेतु सहमति हुई है।

ख) "इसके अलावा, संकल्प किया गया कि भू-विस्थापितों को उनकी देयता की ओर अधिवर्षिता तक बैक-टू-बैक काउंटर गारंटी संबंधित प्रमोटर, शेयरधारक से प्राप्त होगी।

ग) इसके अलावा यह संकल्प किया गया कि एमसीएल से भू-विस्थापितों को आश्वस्त करने का अनुरोध किया जाएगा और यह भी कि एमसीएल के मानदंडों के अनुसार उनकी अधिवर्षिता तक उन्हें सभी मजदूरी और भत्ते प्राप्त होंगे। मजदूरी और भत्तों की ओर कुल व्यय व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटी के अनुसार किया जाएगा।

घ) "इसके अलावा संकल्प किया गया है कि एमसीएल के लिए लागू वार्षिकी योजना एमजेएसजे कोल लिमिटेड द्वारा उस तारीख से कंपनी के बंद होने के मामले में दी जाएगी।

बोर्ड ने आगे के विचार हेतु सीईओ, एमजेएसजे कोल लिमिटेड को निर्देश दिया कि बोर्ड के इस फैसले को एमसीएल को प्रेषित किया जाए। अब, मामला एमसीएल के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया है।

ङ) **सरकारी भूमि प्रीमियम** – राज्य सरकार को सरकारी भूमि प्रीमियम के रूप में सिर्फ रु. 32, 83, 75, 998 / - (बत्तीस करोड़, तिरासी लाख, पचहत्तर हजार, नौ सौ अठ्ठानवे) जमा कर दिया गया है। और 423.445 एकड़ के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है।

च) **पुनर्वास एवं पुन: स्थापना साइट –** आरडीसी, सम्बलपुर तथा दिनांक 09.11.12 को आयोजित आरपीडीएसी द्वारा कंकराई और बलचंद्रपुर गाँव में 89.48 एकड़ सरकारी भूमि पुनर्वास एवं पुन: स्थापना साइट हेतु अनुमोदित की गई तथा इसे आगे की कार्रवाई हेतु तहसीलदार, छेंदीपाड़ा को प्रेषित किया गया। तहसीलदार, छेंदीपाड़ा ने 15.07.2011 को क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट हेतु एक पत्र संबंधित आरआई को भेजा। आरआई ने दिनांक 01.11.2011 को तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार ने 16.11.2011 को पेड़ों की गणना और मूल्यांकन के लिए डीएफओ, अंगुल को एक पत्र भेजा है। सामान्य प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 16.11.2011 को कंकराई और बालीचंद्रपुर गांव को भी एक सामान्य नोटिस भेजा गया है। रेंज अधिकारी, छेंदीपाड़ा द्वारा वृक्षारोपण अमान्य है, क्योंकि सरकारी भूमि पुरुनगढ़ रेंज कार्यालय के अंतर्गत आती है। आरओ, पुरुरगढ़ द्वारा अनुवर्ती कारवाई की जा रही है।

छ) **रेलवे साईडिंग –** बोर्ड की 19 वीं बैठक में , एमसीएल के माध्यम से आरआईटीईएस द्वारा रेल आधारिक संरचना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने का निर्णय लिया गया। आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्णय को महाप्रबंधक (सिविल), एमसीएल को सूचित किया गया है। एमसीएल द्वारा पुरस्कृत करने की प्रक्रिया की जा रही है।

ज) **कल्याणकारी गतिविधियां –** आवास, जल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि जैसे कल्याण और सामाजिक सुविधाएं एमसीएल द्वारा एमजेएसजे कोल लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदान की जा रही हैं।

झ) **परिधीय विकास गतिविधियां -** राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सभी परिधीय विकास गतिविधियों और सामाजिक सहयोग की ज़िम्मेदारी वर्तमान में एमजेएसजे कोल लिमिटेड की ओर से एमसीएल द्वारा निभायी जा रही है।

ञ) **नाला मोड़ना (डाईवर्सन)** – ओड़िशा सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति ने साइट का दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट को माननीय विभाग मंत्री के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया।

IV) **वित्तीय गतिविधियां** - एमजेएसजे कोल लिमिटेड अब विकासशील चरण में है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सभी राजस्व व्यय 31.03.2018 के अनुसार तुलनपत्र में "विकास" मद के रूप में स्थानांतरित किया गया है और "पूंजी कार्य में प्रगति" (नोट -4) के रूप में दर्शाया गया है। मद के तहत कुल 2204.60 लाख (ड्रिलिंग, अन्वेषन तथा अन्य लागत की ओर) तथा 22529.65 मीटर की ड्रिलिंग लागत के रूप में 1531.92 लाख (नोट-5 में अन्वेषन तथा मूल्याकन संपत्ति के रूप में दर्शाया गया) दर्शाया गया है।

कंपनी ने दिनांक 21.10.2008 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तालचेर और एक्सिस बैंक में अपना चालू खाता संख्या 30533665105 खोला है। दिनांक 31.03.2018 को सीएलटीडी / चालू खाते में कंपनी के पास रु. 604.12 लाख रुपये की बैंक राशि है।

V: **बैंक गारंटी -**

कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति के ओर से कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से कार्य करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तालचेर द्वारा जारी बैंक गारंटी संख्या 47/03 के अनुसार रु. 111.24 करोड़ की राशि जमा की है जिसका नियमित आधार पर नवीकरण किया जा रहा है और इसे प्रतिवाद के तहत प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि एमजेएसजे कोल लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है।

बाद में दिनांक 01/10/2015 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर बीजी राशि घटकर रु. 22.14 करोड़ हो गई और उसे नियमित आधार पर नवीनीकृत किया जा रहा है और सभी शेयरधारकों से राहत पत्र प्राप्त होने और भारतीय स्टेट बैंक से अंतिम बीजी के पश्चात इसे प्रस्तुत किया गया। (28 फरवरी 2018 तक वर्तमान बीजी की वैधता का विस्तार)

VI) **लेखा परीक्षक** -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, निम्नलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक –

मेसर्स एम. के. स्वाईं एवं सहयोगी
चार्टर एकाउंटेंट
सोमनाथ प्रहराज द्वितीय तल,
सतीचौरा रोड चाँदिनीचौक, कटक -753002

VII **सावधि जमा** –

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा उसे तहत लागू अन्य नियम के अनुसार वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

कर्मचारियों का विवरण –

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक कर्मचारियों के विवरण, संशोधित रूप में कंपनी (कर्मचारियों के विवरण), नियमन, 1975 के साथ पढ़ा जाए क्योंकि आपकी कंपनी ने इन प्रावधानों के तहत किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

VIII. **बोर्ड की बैठक** -

वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की चार बैठक आयोजित की गई।

IX. **निदेशक मण्डल** –

1. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक होंगे –

i) श्री के. के. परिडा
ii) श्री ओ.पी. सिंह
iii) श्री जे॰ पी. सिंह
iv) श्री एल. एन. मिश्रा
v) श्री एस. असरफ
vi) श्री डी. भट्टाचार्जी
vii) श्री एस. एस. उपाध्याय
viii) श्री संदीप गोखले
ix) श्री विनायक भट
x) श्री सक्ति ब्रत दासगुप्ता

02 रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

i) श्री जे॰ पी. सिंह
ii) श्री एल. एन. मिश्रा

03. रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्न व्यक्ति निदेशक नहीं रहेंगे।

i) श्री के. के. परिडा

X. **निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण** - निदेशक की जिम्मेदारी विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की गई है कि

i) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के रूप में) की तैयारी में, भौतिक प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और निर्णय और मूल्यांकन किए, जो कि उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों में तथा समीक्षा के तहत वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष विचार दिया जा सके।

iii) कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमित बनावट को रोकने और पहचानने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

iv) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' आधार पर खातों (इंडेक्स वित्तीय विवरणों के रूप में) को तैयार किया है।

अभिस्वीकृति –

आपके निदेशकगण एमजेएलजे कोल लिमिटेड के सभी पहलुओं में उनके सहयोग और सहायता के लिए एमसीएल का धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशकगण जिला प्रशासन और ग्रामीणों को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

एमजेएसजे कोल लिमिटेड के प्रबंधन हेतु उनके सहयोग के लिए आपके निदेशकगण ट्रेड यूनियनों का धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और कंपनी ओडिशा के रजिस्ट्रार के लेखा परीक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की उनकी सराहना को भी रिकॉर्ड करते हैं।

(ह/-)

अध्यक्ष,

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

स्थान : अंगुल
दिनांक : 21.06.2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में
सदस्यगण
एमजेएसजे कोल लिमिटेड

भारतीय मानक लेखांकन की वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:

हमने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के भारतीय लेखांकन मानक के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। (भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में उल्लेखित)

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभाग 134(5) ('द एक्ट') की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत इन विवरणियों में कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली मिथ्या कथन से मुक्त हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है ।

लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित किया है कि हमें जो भारतीय लेखांकन मानक का वित्तीय विवरण प्राप्त हुआ है, उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त है।

लेखापरीक्षा में भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा-परीक्षा का साक्ष्य पर्याप्त है तथा भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय पर बनाने के लिए आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

मत

हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों में शामिल तथा भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांत सत्य की जानकारी देते है, जो कि दिनांक 31.03.2018 में कंपनी के मामलो की स्थिति एवं वर्ष के अंतिम तिथि के नकद प्रवाह से संबन्धित हैं।

मामलों का महत्तव:

हम भारतीय मानक लेखांकन की वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों की ओर निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

नोट्स को नोट नंबर 4**0** के पैरा नंबर **3** में संदर्भ आमंत्रित किया जाता है**,** जहां कंपनी ने बैंक गारंटी राशि रु. 22.248 करोड़ के बदले रु. 22.448 करोड़ का गलत तरीके से खुलासा किया है।

कंपनी ने मूल रूप से कोयला मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक प्रत्याभूति के रूप में 1111.24 करोड़ रूपये प्रस्तुत किए।**.** हालांकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 111.24 करोड़ रुपये की राशि में 22.248 करोड़ की गई और तदनुसार कंपनी ने एसबीआई**,** तालचर द्वारा जारी किए गए धारक नंबर 50/48 के साथ बैंक प्रत्याभूति को उसी राशि के लिए प्रस्तुत की**,** जिसकी वैध 28.02.2018 तक की गई । . हालांकि कंपनी ने इसके नवीनीकरण प्रक्रिया की शुरूआत की है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत योग्य नहीं है**.**

अन्य मामला

क. वर्ष, 2012-13 के आकलन में कंपनी द्वारा 3,52,360.00रूपये का भुगतान किया गया और आकलित वर्ष, 2015-16 के दिनांक-27.01.2018 को कंपनी द्वारा 16,67,288.00 रूपये का भुगतान किया गया है। मांग के प्रतिकूल विवाद और अपील के तहत् आयकर की मांगों को प्राधमिकता दी गई है। हालांकि इस तरह के बकाया के संबंध में खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. हमने 27 अप्रैल**,** 2018 **(**"मूल रिपोर्ट"**)** की एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है**,** जो कि वित्तीय वक्तव्य पर कटक में वित्तीय निदेशकों द्वारा आज भी निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया है। कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 143 **(6) (**ए) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकन के अनुसार**,** हमने लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधन किया है। इस संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट का कंपनी के वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिग्रहण करती है**,** जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकनों पर विचार करने के लिए उचित रूप से संशोधित किया गया है और अनुलग्नक ए**,** प्वाइंट नंबर **1** और **3** के मामले अनुच्छेद**,** प्वाइंट नं **(Iv)** में संशोधन किया गया है। अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट को अनुलग्नक बी और प्वाइंट नंबर जी **(ii)** और **(iii)** की वर्णित किया गया है।

मूल रिपोर्ट की तिथि के उपरांत घटनाओं पर हमारी लेखा परीक्षा पूरी तरह से मामलों को अनुच्छेदों में बताया गया है, जो अनुच्छेद ए के प्वाइंट (iv), अनुबंध बी के प्वाइंट संख्या- 1 और 3 तथा जी **(ii)** और **(iii)** में अन्य वैधानिक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट दी गई हैं।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्कताओं पर रिपोर्ट

i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के उप-खंड (11) के संबंध में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) के अनुसार अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक-क में देते हैं।

ii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा की सुझाई गई पद्धति का पालन करने के उपरांत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विवरण, उस पर किए गए कार्यों और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव की एक रिपोर्ट अनुलग्नक - ख में देते हैं।

(iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यकतानुसार हम वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षा**,** उस पर किए गए कार्यों**,** और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की सुझाई गई पद्धति का पालन करने के पश्चात कोल इंडिया लिमिटेड**,** इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त अनुदेशों पर एक विवरण इस अनुलग्नक -ग में प्रस्तुत करते हैं।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) के अनुसार वांछित रिपोर्ट इस प्रकार हैं-

क) हमने उन सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है जो हमारी जानकारी के अनुसार अंकेक्षण के लिए जरूरी तथा भरोसेमंद था।

ख) हमारे विचार से कानून के अनुसार सभी वांछित लेखा बही कंपनी द्वारा उपस्थापित किया गया जो लेखा बही जांच के लिए आवश्यक था।

ग) तुलन-पत्र जिसमें लाभ और हानि का विवरण तथा रोकड़ उपयोग को इस रिपोर्ट में लेखा-वही करार के साथ प्रस्तुत किया गया है।

घ) हमारे विचार से कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत लेखा के विशिष्ट मानक को उपर्युक्त भारतीय मानक लेखांकन वित्तीय विवरण में पालन किया गया है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 में निहित है।

ड़) निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 164(2) के शर्तों के अनुसार 31.03.2018 तक नियुक्त किये गये किसी भी निदेशक को आयोग्य करार नहीं दिया गया।

च) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त और ऐसे नियंत्रण के प्रचालन प्रभाव से संबंधित प्रतिवेदन अलग से अनुलग्नक – घ में संलग्न किये गए हैं।

छ) कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम, 11(लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) के तहत् अन्य मामलों से संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में हमारी राय तथा हमारी जानकारी को स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण दिया गया।

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii) कंपनी ने दीर्घकालीन अनुबंधों के साथ-साथ व्युत्पन्न अनुबंधों पर निकट आर्थिक घाटों अगर कोई हो तो, के लिए लागू नियम अथवा लेखा मानकों में आवश्यक प्रावधान बनाए हैं।

iii) इन्वेस्ट एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को हस्तांतरित किये जाने वाली राशि में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

कटक

दिनांक : 05.06.2018

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या **: 323045E**
ह/-
सीए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
एम. संख्या: 057573

अनुलग्नक-क

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

(अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकता हेतु हमारे प्रतिवेदन की तिथि पैरा-1 निर्दिष्ट अनुलग्नक में की गई है।)

i) अस्थाई परिसंपति के संबंध में :

यह कंपनी उपलब्ध सूचना के आधार पर संख्यात्मक ब्यौरा तथा अस्थाई परिसंपति सहित तथ्यों को दर्शाते हुए वांछित रिकार्ड का रख-रखाव करता है।

जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी के वित्तीय वर्ष के दौरान अस्थाई परिसंपति का चरणबद्ध आकृतितात्मक रुप से व्यस्थापन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है जिसमें हमारे से तथ्यमूलक रूप से कंपनी के आकार तथा संपदा की प्रकृति को ध्यान में रखा गया है।

अचल संपत्ति का टाइटल डीड कंपनी के नाम से है। तथ्यों का विवरण

ii) माल के संबंध मेः

वर्ष के दौरान कंपनी के पास कलपुर्जों एवं कच्चे माल का कोई भंडार नहीं है। अतः प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इसकी प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई। तथ्यों का विवरण

iii) कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी का कर्ज तथा अग्रिम

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 189 के अंतर्गत पार्टी को कोई कर्ज या अग्रिम इस वर्षावधि में नहीं दिया गया जिसका विवरण अद्योलिखित हैः- तथ्यों का विवरण

क) लागू नहीं

ख) लागू नहीं

ग) लागू नहीं

iv) **कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति**

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 185 एवं 186 में कर्ज, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति से संबंधित शर्तों को संशोधित किया गया। तथ्यों का विवरण

v) जनता से स्वीकृत जमा

प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार हीं किया तद्नुसार कंपनी के लिए यह खंड लागू नहीं है। तथ्यों का विवरण

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 के अंतर्गत लागत रेकॉर्ड का रख-रखाव

लागू नहीं। तथ्यों का विवरण

vii) सांविधिक बकाया के संबंध में

क) एमसीएल से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए स्टाफ के अतिरिक्त कंपनी का अपना कोई स्टाफ नहीं है। अतः वर्ष के दौरान भविष्य निधि देय की कटौती एवं जमा लागू नहीं होता। पुनः चंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्पादन एवं बिक्री शुरू नहीं किया है, अतः सरकार को कोई वैधानिक देय का भुगतान देय नहीं है।

तथ्यों का विवरण

ख) कंपनी के सभी रेवन्यु आय का लागत तथा व्यय इंटेंजेबुल ऐसेट के अंतर्गत होने के कारण विकास को इसके व्यवसायिक उत्पादन में नहीं रखा गया है। तद्नुसार एफ.डी.आर. पर बैंक व्याज की कमाई भी लागत अनुसार ही मानी जाती है। फिर भी आयकर विभाग ने इसे रेवन्यु आय माना है तथा यह तथ्य आयकर विभाग के अपीलीय प्राधिकारी के पास अभी भी लंबित है।

viii) बैंक या वित्तीय संस्थान से ली गई ऋण की अदायगी में चूक

कंपनी ने किसी संस्था या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है, अतः खंड लागू नहीं होता।

तथ्यों का विवरण

ix) पैसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से(ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण जिस उद्देश्य के लिए उठाये गए है, उनपर लागू है।

कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे की सार्वजनिक पेशकश(ऋण उपकरणों सहित) और अवधि के ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं उठाया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता। तथ्यों का विवरण

x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (तरीका तथा राशि)

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है। तथ्यों का विवरण

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है। तथ्यों का विवरण

xii) **निधि कंपनी से संबंधित प्रावधान** लागू नहीं। तथ्यों का विवरण

xiii) कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 तथा 188 के तहत् पार्टी के लेन-देन से संबंधित अनुपालन

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टी से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं किया गया है। तथ्यों का विवरण

xiv) वर्ष के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राथमिक आवंटन और शेयर या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तथ्यों का विवरण

xv) निदेशकों तथा उनके साथ जुड़े सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के निदेशकों या उनके साथ जुडें सदस्यों के साथ गैर नकद लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है। तथ्यों का विवरण

xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 के अनुभाग 45-आई.ए. के अंतर्गत पंजीकरण लागू नहीं।

तथ्यों का विवरण

कटक

दिनांक: 05.06.2018

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स

सनदी लेखाकार

संस्था पंजी. संख्या **: 323045E**

ह/-

सीए मनोज कुमार स्वाई

साझेदार

एम. संख्या: 057573

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश / उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड, अंगुल के लेखा खातों का परीक्षण किया है और यह प्रमाणित करते है कि हमें जारी किए गए सभी निर्देश / उप-निर्देशों का पालन किया है।

कटक
दिनांक: 05.06.2018

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या **: 323045E**
ह/-
सीए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
एम. संख्या: 057573

अनुलग्नक-ख

कंपनी **एमजेएसजे कोल लिमिटेड**

:

वित्तीय वर्ष : **2017 – 18**

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 143(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी संशोधित अनुदेशों का प्रतिवेदन

क्र.	दिशानिर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिउत्तर
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फीहोल्ड तथा लीजहोल्ड हेतु क्लीयर टाइटल/लीज डीड है? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज दे जिसमें टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	कंपनी ने सीबीए (ए और डी) अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहित की है।
2.	क्या बेवबर/राइट ऑफ का उधार/कर्ज/ब्याज आदि का कोई विवाद है? यदि हां तो इसके कारण तथा इसमें राशि की संलिप्तता	हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखापरीक्षा के वर्ष के दौरान कर्ज / ऋण / ब्याज इत्यादि की छूट का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या ऐसा कोई रिकार्ड रखा जाता है जिसमें थर्ड पार्टी का इनवेनटरी तथा सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति है।	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी के पास तीसरे पक्ष के साथ कोई सूची नहीं है, इसलिए कोई रिकॉर्ड की आवश्यकता या रखरखाव नहीं किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी को सरकार से या अन्य अधिकारियों कोई उपहार नहीं मिला है। ।

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या : **323045E**
ह/-
सीए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
एम. संख्या: 057573

कटक

दिनांक: 05.06.2018

अनुलग्नक –ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत 2017-18 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, इसके सहायक और संयुक्त उद्यमों के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के अतिरिक्त दिशा-निर्देश

एमजेएसजे कोल लिमिटेड

कंपनी :

वित्तीय वर्ष : **2017 – 18**

क्र.	**जारी दिशा निर्देश**	सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिउत्तर
1.	समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक मापन किया गया था या नहीं। क्या भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए किसी भी नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी?	लागू नहीं कंपनी ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है।
2.	क्या कंपनी ने क्षेत्र के विलय / विभाजित / पुन: संरचना के समय संपत्तियों और परी-संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का आयोजन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया है?	लागू नहीं चूंकि वर्ष 2017-18 के दौरान किसी क्षेत्र की कोई विलय / विभाजित / ई-संरचना नहीं है
3.	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खातों का रखरखाव किया गया है। खाते के निधि के उपयोग की भी जांच करें।	लागू नहीं कंपनी ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है।
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अवैध खनन के लिए जुर्माना का प्रभाव उचित है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है?	लागू नहीं

अनुलग्नक - घ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(i) के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण प्रतिवेदनः

31 मार्च 2018, कंपनी के रूप में एमजेएसजे कोल लिमिटेड (द कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक मानक लेखांकन वित्तीय विवरण के संयोजन के रूप में हमारे इस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का हमने लेखा परीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारतीय चार्टड अकाउंटेन्ट संस्थान(आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना, कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर आपना मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत् निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आंकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आंकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे भारतीय मानक वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है । कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1)अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों व्यक्तवों की तेयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आस्वाषन प्रदान करते है तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं ब्यय किया जा रहा है ।(3)अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, व कंपनी की संपत्ति जिसका भारतीय मानक वित्तीय विवरण पर प्रभावों होसकता है, का समयपर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:-

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं सहित नियंत्रण की अनुचित प्रबंधन ओवरराइड व मिलीभगत की संभावना के कारण सामाग्री के गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि हो सकता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों वा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है ।

मत

हमारे मत में भारत के चार्टड अकाउंटेन संस्थान द्वारा जारी किया गया वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है जो 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

कृते एम.के. स्वाई एण्ड असोसियट्स
सनदी लेखाकार
संस्था पंजी. संख्या **: 323045E**
ह/-
सीए मनोज कुमार स्वाई
साझेदार
एम. संख्या: 057573

कटक
दिनांक: 05.06.2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉं

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाका के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 27.04.2018 एवं संशोधित लेखा प्रतिवेदन दिनांक 05.06.2018 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के के अंतर्गत एमजेएसजे कोल लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के आकलन के बिना और वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है। अनुपूरुक लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाशित लेखा परीक्षा के परिणामस्वरुप स्वतंत्र लेखा परीक्षा “अन्य मामले” के तहत किए गए संशोधन में हमारी जानकारी के तहत अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(रीना साहा)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12.06.2018

फार्म संख्या एम.आर.- 3

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए

{कंपनी अधिनियम 2013 के नियम क्र.9 व कंपनी अधिनियम(नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निजी) 2014 के खंड 204(1) के अनुसरण में}

प्रति
सदस्य गण
एमजेएसजे कोल लिमिटेड
हाउस नं. 42 (प्रथम तला)।, आनंद नगर
हाकिम पाड़ा पोस्ट ऑफिस, अंगुल, अंगुल- 759153, ओड़ीशा

मैं/हमने मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड (तत्पश्चात इसे कंपनी कहा गया है) द्वारा निगम प्रथाओं के अवलंबन में लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया कि उससे निगम आचरणों/वैधानिक अनुपालनों तथा उनपर हमारी राय जाहिर करने का एक यथोचित आधार प्राप्त हुआ ।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के अनुसार कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और दायर विवरणियों और अन्य रिकॉर्ड की जॉच के आधार पर, हमने अपनी राय के अनुसार प्रतिवेदित किया हैं कि कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित अवधि में निम्न सूचीस्थ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया तथा कंपनी के पास निम्नानुसार यथोचित बोर्ड-प्रक्रियाएं व अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं।

मैं/हमने कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रखी हुई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों व दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जॉच निम्न प्रावधानों के अनुसार किया -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके के तहत् बनाये गए नियम।

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाये गए नियम, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और अधिनियम के अधीन बने नियम और उपनियम, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और तदाधीन बने नियम और विनियम, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

(v) अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत निर्धारित अधिनियम व दिशा निर्देश, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

  क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण), अधिनियम, 2011, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

  ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेनिंग का निषेध), अधिनियम, 1992, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) नियमन, 2009, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना व कर्मचारी शेयर क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का सूचीकरण व जारीकरण) नियमयन, 2008 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

च) कंपनी अधिनियम व पक्षकारों के साथ निपटान संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (शेयर जारीकरण व अंतरण अभिकर्ता के पंजीयक) नियमन, 1993 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) नियमन 2009 आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूति वापसी क्रय) नियमन 1998, आलोच्य अवधि के रिपोर्ट पर लागू नहीं है।

vi. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश।

vii. निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कानूनों के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाणपत्र के आधार परब तथा कंपनी द्वारा परीक्षण किए गए दस्तावेजों और अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर अनुपालन और प्रक्रियाएं सत्यापित की जा रही हैं:

क) खान अधिनियम, 1952
ख) खान रियायत नियमावली, 1960
ग) खान बचाव नियम, 1985
घ) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966
ङ) खान (पोस्टिंग ऑफ एब्स्ट्राक्ट) नियमावली, 1954
च) खान और खनिज (विकास विनियम) अधिनियम, 1957
छ) भारतीय विद्युत नियमावली, 1985
ज) भारतीय विस्फोटक नियमावली, 2008
झ) कोयला खान विनियम, 1957
ञ) कोयला खान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974
ट) कोयला खान पेंशन योजना, 1998
ठ) कोयला खान भविष्य (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1948
ड) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
ढ) जल (प्रदूषण अधिनियम की रोकथाम और नियंत्रण), 1974
ण) वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981
त) मजदूरी का भुगतान (खान) नियमावली, 1956
थ) अनर्जित मजदूरी (खान) नियमावली, 1959 का भुगतान
द) मातृत्व लाभ (खान) नियमावली, 1963
ध) कोलिरी कंट्रोल ऑर्डर, 2000
न) कोलिरी कंट्रोल नियमावली, 2004

ऩ) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियमावली, 1990

मैंने/हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:
i. भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक.
ii. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा लिस्टिंग समझौते में प्रवेश किया गया; (लागू नहीं)

मैं/हमने वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों के रखरखाव पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैधानिक लेखा परीक्षा के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी के लिए लागू अधिनियम, नियम, विनियम, डीपीई दिशानिर्देश, सचिवीय मानक इत्यादि के प्रावधानों का पालन किया है।

मैं/हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी के निदेशक मंडल विधिवत गठित किए गए हैं और समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों और प्रकटीकरण के अनुपालन के अनुसार किए गए थे तथा जिसकी बोर्ड को जानकारी थी और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रिया का पालन किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बोर्ड की बैठक के कार्यसूची को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को सूचना दी गई है और कार्यसूची पर विस्तृत सूचन कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और कार्यसूची वस्तुओं पर आगे की जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड एवं समिति की बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यवृत में बहुमत निर्णय सर्वसम्मति से और विधिवत दर्ज किए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

नोट: यह रिपोर्ट वर्तमान तिथि के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी है जिसे **अनुलग्नक क** के रूप में संलग्न किया गया है, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न है।

एन.सी नायक एवं कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

स्थान: **अनगुल**
दिनांक: *27/04/2018*

सीएस नरेश चन्द्र नायक (एफ़सीएस)
(प्रोपराइटर), एफ़सीएस-7089, सी पी सं - 7802

अनुलग्नक-क

प्रति
सदस्य गण
एमजेएसजे कोल लिमिटेड
हाउस नं. 42 (प्रथम तला)।, आनंद नगर
हाकिम पाड़ा पोस्ट ऑफिस, अंगुल, अंगुल- 759153, ओड़ीशा

इस पत्र के साथ इसी तारीख तक की हमारी रिपोर्ट को पढ़ी जाये।

1) सचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इस सचिवीय रिकार्ड पर राय व्यक्त करने के लिए है।
2) हमने, सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता की सुनिश्चतता के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित तथ्यों की सत्यता जांच के आधार पर सुनिश्चित किया गया। हमारा विश्वास है कि हमने अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं व पद्धतियों का पालन किया है वे तदाशय में एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3) हमने कंपनी के खाते की सत्यता और वित्तीय अभिलेखों का औचित्य और किताब सत्यापित नहीं किया है।
4) हमने कानूनों, नियमों और विनियमन के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में आवश्यकतानुसार प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5) कॉर्पोरेट के प्रावधान और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जांच के आधार पर पक्रिया के सत्यापन तक सीमित था।
6) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के लिए और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है।

दिनांक : 27.04.2018
स्थान: अंगुल

एन.सी नायक एवं कंपनी के लिए
कंपनी सचिव
सीएस नरेश चन्द्र नायक (एफ़सीएस)
(प्रोपराइटर), एफ़सीएस-7089, सी पी सं - 7802

फॉर्म सख्या. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

दिनांक 31.03.2018 समाप्तौ वित्तीय वर्ष के लिए एमजेएसजे कोल लिमिटेड के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 92(I) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)नियमावाली 2014 की नियम 12(I) के तहत)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i) सीआईएन :- **U10200OR2008GOI01025**
ii) पंजीकरण तिथि : **13/08/2008**
iii) कंपनी का नामा : **एमजेएसजे कोल लिमिटेड**
iv) कंपनी की श्रेणी: - 1 सार्वजनिक कंपनी (√)
2 निजी कंपनी ( )
v) कंपनी के उप-केटेगरी:- [जो लागू है कृपया उस पर टिक लगाए]
सरकारी कंपनी (√)
लघु कंपनी ( )
एक व्यक्ति की कंपनी ( )
विदेशी कंपनी की अनुषंगी कंपनी ( )
एनबीएफ़सी ( )
गारंटी कंपनी ( )
शेयरों दवारा सीमित (√)
असीमित कंपनी ( )
कंपनी शेयर पूंजी के साथ (√)
कंपनी शेयर पूंजी के बिना ( )
धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी ( )

vi) पता **आवास क्रमांक 42, प्रथम तल , हाकीमपड़ा, आनंद नगर**
शहर : **अंगुल**
राज्य : **ओड़िशा**
देश का नाम : **भारत**
पिन कोड: **759143**
फ़ैक्स सख्या : **06760-260945**
ईमेल का पता : ceomjsjcoal@yahoo.co.in
वैबसाइट :

vii) क्या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज में शेयर सचीबद्ध किया गया है- हॉ/ नहीं √
पंजीकृत अथवा स्थानांतरण एजेंट का नाम,पता एवं संपर्क विवरण
vii) यदि कोई हो तो **शून्य**

II. कंपनी की मुख्य व्यवसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक के योगदान की सभी व्य वसायिक गतिविधियों का विवरण: -

क्रम संख्या	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के विवरण	उत्पादों/सेवाओं के एनआईसी कोड	कंपनी के कुल बिक्री की प्रतिशतता
1	**कोयला**	**1000**	**100**

III. धारक ,सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ अनुषंगी/ सहयोगी	शेयर का प्रतिशत	लागू धारा
1	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड मो./डाकघर - जागृति विहार बुर्ला संबलपुर - 768020. ओड़िशा	U10102OR1992GOI003038	धारक	60	धारा- 2 (87)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न
(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)
i) श्रेणी के हिसाब से शेयरहोल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशाट में बदलाव
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)निकाय निगम	0	95100000	95100000	10	0	95100000	95100000	10	0
ङ)बैंकों/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रोमोटरों के कुल शेयरहोल्डिंग (क)	0	95100000	95100000	10	0	95100000	95100000	10	0
ख. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थालएं									
क) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंको/एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)राज्य सरकार(एस)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) वैंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) इन्श्रूरेंस कंपनियों	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज)विदेशी वैंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झ) अन्य(विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग(ख)(1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. गैर- संस्थानों									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) व्यक्तिगत									
i) 1 लाख से तक के नामिनल शेयर रखनेवाले व्यरक्तिगत शेयरधारकगण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) 1 लाख से अधिक के नामिनल शेयर रखनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारक गण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य(विशेष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ख) (2):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरों के रख-रखाव(ख)=(ख) (1)+(ख)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग. जीडीआर एवं एडीआर के पास शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समग्र कुल (क+ख+ग)	0	95100000	95100000	10	0	95100000	95100000	10	0

ii) ***प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग***

क्र.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान प्रतिशत में बदलाव
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	प्लेतज्डय शेयरों का प्रतिशत कुल शेयरों के लिए भारिता	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	प्लेतज्डय शेयरों का प्रतिशत कुल शेयरों के लिए भारिता	
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	57060000	60	0	57060000	60	0	0
2	जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड	10461000	11	0	10461000	11	0	0
3	जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड	10461000	11	0	10461000	11	0	0
4	जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	8559000	9	0	8559000	9	0	0
5	श्याम मैटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड	8559000	9	0	8559000	9	0	0

iii) ***प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (यदि परिवर्तन न हुआ हो तो स्पोष्ट करें)***

क्र.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रारंभिक वर्ष में	**95100000**	**10**	**95100000**	**10**
	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि):	**0**	**0**	**0**	**0**
	अंतिम वर्ष में	**95100000**	**10**	**95100000**	**10**

iv) ***शीर्ष 10 शेयरहोल्डेरों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न(जीडीआर एवं एडीआर से संबंधित निदेशकों,प्रोमोटर्स एवं होल्डवर्स के अलावा) :-***

क्र.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरहोल्ड रों के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रारंभिक वर्ष में	**95100000**	**10**	**95100000**	**10**
	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि):	**0**	**0**	**0**	**0**
	अंतिम वर्ष में (या विभाजन की तिथि में , यदि वर्ष के दौरान विभाजन हुआ हो तो)	**95100000**	**10**	**95100000**	**10**

v) ***निदेशकों के शेयरहोल्डिंग एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः***

Sl. No.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्यीक निदेशकों एवं मुख्यव प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	प्रारंभिक वर्ष में	0	0	0	0
	तिथिवार एवं सकारण वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता निर्दिष्ट करने में हुई कमी/वृद्धि (उदाहरण के आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वैट इक्विटी आदि):	**0**	**0**	**0**	**0**
	अंतिम वर्ष में	0	0	0	0

V. **ऋणग्रस्तता**

कंपनी का ब्याज बकाया/ उपार्जन सहित ऋणग्रस्त्ता परंतु भुगतान के लिए देय नहीं

	जमा रहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्ता वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तशता				
i) मूल राशि	**0**	**0**	**0**	**0**
ii) बकाया ब्या ज परंतु भुगतान नहीं	**0**	**0**	**0**	**0**
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**
वित्त वर्ष में ऋणग्रस्ताता में			**0**	**0**
* जोड़	**0**	**0**	**0**	**0**
* घटाव	**0**	**0**	**0**	**0**
निवल परिवर्तन	**0**	**0**	**0**	**0**
वित्तप वर्ष के अंत में ऋणग्रस्ताता				
i) मूल राशि	**0**	**0**	**0**	**0**
ii) बकाया ब्या ज परंतु भुगतान नहीं	**0**	**0**	**0**	**0**
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**

VI. **निदेशकों एवं प्रबंधात्मंक कार्मिकों के पारिश्रमिक**

क. *क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक:*

क.सं	पारिश्रमिक का विवरण			एमडी/डब्लुीटीडी/मैनेजर का नाम				कुल राशि
				-----	----	----	---	
1	सकल वेतन			0	0	0	0	0
	(क) 1961 धारा 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन							
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य							
	(ग) आयकर अधिनियम , 1961, धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ							
2	स्टॉक का विकल्प							
3	स्वैट इक्वीटी							
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य(निर्दिष्ट करें…							
5	अन्य,(निर्दिष्ट करें…							
	कुल (क)			0	0	0	0	0
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग							

ख. अन्यश निदेशकों के पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
		-----	----	----	---	
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क					
	कमीशन					
	अन्य,(निर्दिष्ट करें)					
	कुल (1)	0	0	0	0	0
2	अन्य गैर- कार्यकारी निदेशकों					
	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क					
	कमीशन					
	अन्य,(निर्दिष्ट करें)					
	कुल (2)	0	0	0	0	0
	कुल(ख)=(1+2)	0	0	0	0	0
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0	0	0	0	0
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग					

ग. एमडी / प्रबंधक / डब्लू/ टीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधात्म क कर्मियों के पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधात्मरक कर्मी			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफ़ओ	कुल
1	सकल वेतन				
	(क) 1961 धारा 17 (1) आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		924567	0	924567
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961, धारा 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	0	0	0	0
	(ग) आयकर अधि., 1961, धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0
3	स्वैट इक्वीटी	0	0	0	0
4	कमीशन	0	0	0	0
	लाभ के रूप में	0	0	0	0
	अन्य निर्दिष्ट करें...	0	0	0	0
5	अन्य , कृपया निर्दिष्टर करें	0	0	0	0
	कुल	0	924567	0	924567

VII. जुर्माना/ दंड/ अपराधों का समझौता:

प्रकार	कंपनी के नियम अंतर्गत धारा	विस्तृनत विवरण	जुर्माना / दंड / लगाए गए समझौता फीस का विवरण	अथोरीटि [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	अपील,यदि हो, तो विवरण दें
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. निदेशकगण					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. अन्यश दोषी अधिकारी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31.03.2018 के अनुसार तुलनपत्र

(₹. लाख में)

	टिप्पणी	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
परिसंपत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	3,826.41	3,915.72
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगतिपर	4	2,204.60	2,105.64
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	1,531.92	1,531.92
(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6		
(ङ) विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ			
(च) निवेश सम्पत्ति			
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7		
(ii) ऋण	8		
(iii)अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9		
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)			
(झ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	-	7.00
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		**7,562.93**	**7,560.28**
चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) वस्तुसूची	12		
(ख) वित्तीय परिसंपातियाँ			
(i) निवेश	7		
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13		
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	33.32	15.95
(iv) अन्य बैंक बैलेन्स	15	1,570.80	2,393.41
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	9	46.32	81.31
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)			
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	231.58	258.11
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		**1,882.02**	**2,748.78**
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**9,444.95**	**10,309.06**

टिप्पणी
31.03.2018 के अनुसार तुलनपत्र

₹ लाख में

	टिप्पणी	31.03.2018 के अनसार	31.03.2017 के अनसार
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	9,510.00	9,510.00
(ख) अन्य इक्विटी	17	(101.32)	(101.32)
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए इक्विटी का श्रेय		9,408.68	9,408.68
गैर नियंत्रित व्याज			
कुल इक्विटी (क)		**9,408.68**	**9,408.68**
देयताएं			
गैर- चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18	-	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापारy)			
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	33.13	894.75
(ख) प्रावधान	21		
(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	22		
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		**33.13**	**894.75**
चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधारी	18		
(ii) भुगतान योग्य व्यापारy)	19		
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20		
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	0.45	2.25
(ग) प्रावधान	21	2.68	3.38
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		**3.14**	**5.63**
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**9,444.95**	**10,309.06**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

हमारे रिपोर्ट के अनुसार संलग्न **बोर्ड की तरफ से**

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस.राऊत)	(बी.घोष)	(एम. ब्रह्मपुरकर)	(ओ.पी . सिंह)	(के .आर.वसुदेवन)
(उप. प्रबंधक(वित्त / Company Secretary	सीएफ़ओ	सीईओ/जीएम	निदेशक डीआईएन-07627471	अध्यक्ष डीआईएन-07915732

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,मेसर्स एम.के.स्वाइन अँड असोसिएट
सनदी लेखाकर

एफ़आरएन– 323045ई

ह/-
सनदी लेखाकर एम.के.स्वाइन
सदस्य संख्या-057573

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार समेकित लाभ एवं हानी विविरण

		टिप्पणी	31.03.2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
	संचालन से प्राप्त राजस्व	24		
क	विक्रय (उत्पाद शुल्क जोड़ कर)			
ख	संचालन से प्राप्त अन्य राजस्व (अन्य परिचालन राजस्व)			
(I)	**संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)**			
(II)	अन्य आय	25		
(III)	**कुल आय (I+II)**		-	-
(IV)	**व्यय**			
	खपत वस्तुओं की लागत	26		
	तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	27		
	उत्पाद शुल्क			
	कर्मिक हितलाभ पर व्यय	28		
	बिजली एवं ईंधन			
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29		
	मरम्मत	30		
	संविदात्मक व्यय	31		
	वित्तीय लागत	32		
	मूल्य हास/परिशोधन/हानि पर व्याय			
	प्रावधान	33		
	बट्टे खाते डालना	34		
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन			
	अन्य व्यय	35		
	कुल व्यय (IV)			
(V)	**असाधारण मदे और टैक्स से पूर्व लाभ (I-IV)**			
(VI)	असाधारण मदें			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**			
(VIII)	कर पर व्यय	36		
(IX)	**निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)**			
(X)	बंद संचालन से लाभ/(हानि)			
(XI)	बंद संचालन के कर पर व्यय			
(XII)	बंद संचालन से लाभ(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)			
(XIII)	संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स लाभ/ (हानि) में शेयर			
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ(IX+XII+XIII)**			
	अन्य व्यापक आय	37		
	क (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
	ख (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार समेकित लाभ एवं हानी विविरण

		टिप्पणी	31.03.2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
(XV)	**कुल अन्य बृहत आय**			
(XVI)	**अवधि के लिए कुल बृहत आय (XIV + XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल में है)**			
	मुनाफे का कारण:			
	कंपनी के मालिक			
	अनियंत्रित ब्याज			
	कुल व्यापक आय का कारण:			
	कंपनी के मालिक			
	अनियंत्रित ब्याज			
	कुल व्यापक आय का कारण:			
	कंपनी के मालिक			
	अनियंत्रित ब्याज			
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर का आय(जारी संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत			
	(2) तरलीकृत			
(XVIII)	**प्रति इक्विटी शेयर का आय (बंद संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत			
	(2) तरलीकृत			
(XIX)	**प्रति इक्विटी शेयर का आय ((बंद संचालन एवं जारी के लिए):**			
	(1) मूलभूत			
	(2) तरलीकृत			

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।
ईपीएस की गणना के लिए नोट 38 (7) (सी) देखें

हमारे रिपोर्ट के अनुसार संलग्न **बोर्ड की तरफ से**

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस.राऊत)	(बी.घोष)	(एम. ब्रहमपुरकर)	(ओ.पी . सिंह)	के .आर.वसुदेवन)
(उप. प्रबंधक(वित्त / Company Secretary	सीएफ़ओ	सीईओ/जीएम	निदेशक डीआईएन-07627471	अध्यक्ष डीआईएन-07915732

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,मेसर्स एम.के.स्वाइन अँड असोसिएट
सनदी लेखाकर

एफ़आरएन– 323045ई

ह/-
सनदी लेखाकर एम.के.स्वाइन
सदस्य संख्या-057573

31.03.2018 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

ब्यौरा	01.04.2016 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2017 को बकाया के अनुसार	01.04.2017 को बकाया के अनुसार	नौ महीने के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2018 को बकाया के अनुसार
95100000 इक्विटी शेयर में प्रत्येक ₹10/-						

टिप्पणी: इक्विटी में बदलाव के कारण

ख. अन्य इक्विटी

	वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी हिस्सा	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व					
01.04.2016 को बकाया के अनुसार								-		
वर्ष के दौरान अतिरिक्त								-		
वर्ष के दौरान समायोजन	-							-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-							-		
01.04.2016 को पुनः घोषित बकाया के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-		
वर्ष के दौरान योग	-									
वर्ष के दौरान समायोजन	-							-		
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय	-							-		
<u>विनियोग</u>								-		
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-							-		
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-							-		
अंतरिम लाभांश	-							-		
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-							-		
प्री-ऑपरेटिव व्यय	-							-		
31.03.2017 को बकाया के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-		
01.04.2017 को बकाया के अनुसार	-	-	-			-	-	-		
वर्ष के दौरान योग	-							-		
वर्ष के दौरान समायोजन	-							-		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-							-		
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-							-		
साल के लिए कुल व्यापक आय	-							-		
<u>विनियोग</u>										
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-							-		
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-							-		
अंतरिम लाभांश	-							-		
अंतिम लाभांश	-							-		
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-							-		
प्रीपरेटिव व्यय का समायोजन	-							-		
31.03.2018 के अनुसार बकाया	-	-	-			-	-			

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 1 कॉर्पोरेट जानकारी

एम.जे.एस.जे कोल लिमिटेड, एक सार्वजनिक उद्यम उपक्रम है, जिसका मुख्यालय ओड़िशा राज्य के अनगुल जिले में स्थित है, जिसे 13 अगस्त, 2008 को शामिल किया गया था, जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 60% सहायक कंपनी है। समूह मुख्य रूप से कोयले के खनन और उत्पादन में लगी हुई है।
कंपनी विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 40 में वर्णित है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार-:
कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, समूह का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च 2018 तक के सभी अवधि के लिए इसी दिन समाप्त वर्ष को शामिल करते हुए एम.सी.एल समेकित (इसके बाद समूह के रुप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, सहपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुच्छेद 7 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (ए.एस) तथा कंपनी (लेखांकन मानक) 2006 (पूर्व भारतीय जीएएपी) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। 31 मार्च 2018 के लिए यह वित्तीय विवरण कंपनी का पहला वित्तीय विवरण है जिसे भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप तैयार किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाने की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 39 अवलोकन करे।

वित्तीय विवरण, उचित मूल्य पर पैमानित कतिपय लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को पारम्परिक लागत आधारित मूल्य पर तैयार किया गया है।

पूर्ण अंकों में राशि
जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमल के दो प्वाइंट तक ‘रुपए करोड़ में’ पूर्ण अंकों में दिखाया गया है।

चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण:
कंपनी अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब,

क. यह सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूले अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।

ख. यह परिसंपत्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है
ग. यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है अथवा
घ. परिसंपत्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता

के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी के द्वारा किसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:

क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपतान की अपेक्षा रखती है।

ख. इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यपार के लिए होती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है अथवा,

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है (अनुच्छेद 73 का अवलोकन करे) । प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

<u>राजस्व मान्यता-</u>

बिक्री से प्राप्त राजस्व:

निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होने पर ही सामानों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है:

क. कंपनी ने महत्वपूर्ण जोखिमों एवं सामानों के स्वामित्व का लाभ खरीददारों को हस्तांतरित कर दिया है।

ख. कंपनी निरंतर प्रबंधकीय हस्तक्षेप जो स्वामित्व के सामान्यत: सहयोगी होते हैं, को न तो उस स्थिति/सीमा तक और न ही बेचे गए सामानों पर प्रभावी नियंत्रण को बनाए रखना चाहती है,

ग. राजस्व की रकम का मूल्यांकन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है,

घ. यह संभाव्य है कि संव्यवहार सम्बद्ध आर्थिक लाभ कंपनी को भी मिलेगा।

ङ. लेन-देन के संव्यवहार में लगी लागत अथवा लगने वाली लागत का मूल्यांकन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है।

सरकार/अन्य वैधानिक निकायों की तरफ से एकत्र किए गए कर, लेवी अथवा शुल्क को छोड़कर संविदात्मक रूप से परिभाषित भुगतान के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त अथवा प्राप्य भुगतान उचित मूल्य पर राजस्व का मूल्यांकन किया जाता है।

तथापि, भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 18 पर शैक्षिक सामग्री के आधार पर कंपनी ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी की अपनी जिम्मेदारी पर होती है। सामान की बिक्री हो अथवा नहीं हो, उत्पादन लागत का अंग होने की वजह से यह निर्माता का दायित्व है। चूंकि कंपनी की अपनी जिम्मेदारी पर उत्पाद शुल्क की वसूली होती है, इसलिए सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है।

हालांकि ,कंपनी द्वारा अन्य कर लेवी व शुल्क को प्राप्त नहीं किया गया है तथा उसे शुद्ध राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

<u>ब्याज</u>

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

<u>लाभांश</u>

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय को तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त किए जाने का अधिकार स्थापित हो।

<u>अन्य दावे:</u>

जब वसूली की निश्चितता हो, तब अन्य दावे (ग्राहकों से विलंब से वसूली पर ब्याज सहित) का लेखा-जोखा रखा जाता है।

<u>सेवाओं का प्रतिपादन:</u>

जब सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जाता है तब लेनदेन के पूरा होने के संदर्भ में संबंधित राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के रूप में मान्यता दी जाती है। जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण हो तो लेनदेन का आंकलन विश्वसनीयता के साथ किया जाता है:

क. राजस्व राशि का मूल्यांकन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है।

ख. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़ी आर्थिक लाभ सीधे कंपनी को प्राप्त होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन पूरा होने के चरण का विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है।

घ. लेने-देन हेतु खर्च लागत तथा लेन-देन को पूरा करने में आई लागत का मूल्यांकन विश्वसनीयता से किया जा सकता है।

<u>सरकार से प्राप्त अनुदान</u>

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती, जब तक कि यथोचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि इससे जुड़ी शर्तों का कंपनी पालन करेगी तथा इसकी निश्चितता हो कि अनुदान अवश्य प्राप्त किये जाएंगे।

लाभ हानि विवरण में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रुप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है। परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को तुलन-पत्र में प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि या विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

सरकारी अनुदान जिन पर उचित रूप से कोई मूल्य नहीं रखा जा सकता एवं जिन्हें कंपनी के सामान्य व्यापार लेनदेन से अलग नहीं किया जा सकता है और जो सरकारी सहायता के अनुरूप है तथा जिनसे कंपनी को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है और उन सामग्री को नोट्स में अलग से दर्शाया गया है।

पट्टा:

पट्टेदाता के रूप में कंपनी

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय पट्टा वह पट्टा है जो वास्तव में सभी जोखिमों एवं उपलब्धियों को किसी कंपनी के स्वामित्व को हस्तांतरित करता है एवं वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थायी दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रूप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

परिचालित पट्टे:

परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार तब तक स्वीकार नहीं किया जाता है।

पट्टेदाता के रुप में कंपनी :

पट्टा जिसमें कंपनी पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और संपत्ति के स्वामित्व के उपलब्धियों का हस्तांतरण नहीं करती है, उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग पट्टे से किराये की आय प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष आधार पर पहचानी जाती है। एक प्रचालन पट्टा की व्यवस्था करने में हुई प्रारंभिक लागत पट्टेयुक्त परिसंपत्ति के वहन राशि में शामिल किया जाता है एवं पट्टा अवधि के आधार पर उन्हें मान्यता प्राप्त होती है।

जब सभी जोखिम और उपलब्धियां और स्वामित्व कंपनी से पट्टेदार को हस्तांतरित होता है, तब इन पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है वित्त पट्टे के तहत पट्टेदार से बकाया राशि, पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश के प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया है। वित्त पट्टे की आय लेखांकन अवधि के लिए आवंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर सतत आवधिक दर को प्रतिबिंबित किया जा सके।

बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु आयोजित करती है यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो । विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में

महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए । प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए यह बिक्री लेनदेन विनिमय गैर चालू संपत्ति से अन्य गैर चालू संपत्ति में भी किया जा सकेगा जो व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लागू होता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा।

संपत्ति या निष्पादन कंपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो।
- खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो।(जहां उचित हो)|
- वर्तमान के उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य हेतु बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रुप से बाजार ढूंढ जा रहा हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: पूरी हो तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

भूमि पारम्परिक लागत पर ली जाती है। पारम्परिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है।

सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी सचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद की लागत में ये शामिल हैं:

क. इसके खरीद मूल्य में व्यावसायिक छोट व कटौती को घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गै-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल है।

ख. प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक कोई लागत है।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री

को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लेखित दिन-प्रतिदिन की अनुरक्षण की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वर्तमान राशि में स्वीकार किए जाते हैं, अगर संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनियता से मापा जा सकता है, तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वर्तमान राशि को नीचे अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रुप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वर्तमान राशि को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये जाने पर उसे असंबद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

पूर्ण-स्वामित्व की भूमि के अलावा सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा संपत्ति के अनुमानित जीवन के अनुसार संरेखीय आधार पर लागत मॉडल के अनुसार प्रदान की जाती है।

(पट्टेकृत भूमि सहित) - परियोजना की अवधि

भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	8-10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष
अन्य	-	-

सम्पदा, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप औरसुरक्षा लैम्प आदि जैसे परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रुप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधनियम 1957 के तहत अधिकृत भूमि का मूल्य परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है| पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित, उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इनैवैलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन – कंपनी अपने समस्त परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लागत मोडल के अनुसार वहन व्यय सहित इसे अनवरत जारी रखने के लिए चुनी गई है, जिसे भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्ती तिथि, पूर्व जीएएपी के अनुसार वियतीय विवरण में स्वीकार किया गया है।

खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमीस्निंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनिन खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार दायित्वों को निपटाने के लिए विशिष्ट एस्क्रों निधि लेखा बनाई गई है। कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और न उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

<u>अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ –</u>

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है:

- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा का शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता का निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा उसे गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में उन्हें संचित प्रावधान के कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार प्रमाणित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि, यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

<u>विकास व्यय –</u>

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के

तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना रेपोर्ट में स्पष्ट रुप से उल्लेखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना वाणिज्यिक तौर पर सततता के आधार पर जब उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती तो परियोजना/खानों को राजस्व के लिए लाया जाता है:

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से, अथवा

ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

ग) उस वर्ष के बाद वाली वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिस में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चों से अधिक होता है।

उपर्युक्त में जो भी पहले घटित हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियाँ -

अलग से अधिग्रहित की गई अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारम्भिक लागत पर मापा जाता है। व्यापार सन्योजन/व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारम्भिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अमूर्त परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिए जाते हैं।

विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रुप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नही किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रुप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अमूर्त परिसंपत्ति हानिकारक हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अमूर्त परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रुप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वर्तमान राशि के बीच के अंतर के रुप में मापा जाता है और जो लाभ व हानि विवरण में मान्य होता है। अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

<u>हानि -</u>

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है।

<u>निवेश संपत्ति</u>

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में विक्रय में निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेशित संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है।

निवेशित सम्पत्तियों को उनके अनुमानित कार्यशील जीवन पर स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करते हुए अवमूल्यित किया जाता है।

<u>वित्तीय दस्तावेज:</u>

वित्तीय दस्तावेज एक ऐसा अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ -

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

<u>आगामी माप</u>

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

<u>परिशोधित लागत पर ऋण साधन</u>

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए लागू होती है।

एफवीटीओसीआई में ऋण दस्तावेज:

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंडों को पूरा किया जाता है तो “ऋण दस्तावेज” का एफवीटीओसीआई के रुप में वर्गीकृत किया जाता है:

क. व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूर किया जाता है, और

ख. परिसंपत्तियों का संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई को निरुपित करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत आने वाले ऋण दस्तावेज का प्रारम्भिक तैर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के संचार को अन्य विस्तृत आय में मान्यता प्रदान की जाती है। हालांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, क्षति से होने वाले नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकार पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। एफओटीओसीआई ऋण दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रुप में रिपोर्ट की गई है।

एफवीटीपीएल में ऋण दस्तावेज:

एफवीटीपीएल ऋण दस्तावेज के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। ऋण दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रुप में अथवा एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकरण के लिए मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण दस्तावेज को निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रुप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनाओं की अनुमति सिर्फ तभी दी जाती है, जब माप या मान्यता असंगतता को कम करता है या समाप्त करता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ट्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहनीय राशि परिवर्तन तिथि पर मानी हुई लागत पर मान्य होगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश का मापन लागत पर होगा।

अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मिलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी दस्तावेजों के लिए कंपनी उचित मूल्य में तत्पश्चात परिवर्तन को अन्य विस्तृत आय में प्रस्तुत करने के लिए चयन कर सकती है। कंपनी किसे दस्तावेज पर ऐसा चयनीत दस्तावेज आधार पर कर सकती है। वर्गीकरण आरंभिक स्वीकार्यता पर किया जाता है और जो कि अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी विपत्रों को वर्गीकृत करने का निर्णय करती है तब लाभांश को छोड़कर, दस्तावेज पर समस्त उचित मूल्य में परिवर्तित को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेशों की बिक्री होने पर भी ओ.सी.आई से पीएंडएल में राशियों को नहीं लाया जाएगा। तथापि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ और हानि को स्थांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर समाविष्ट इक्विटी विपत्र पीएंडएल में मान्य सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य में स्वीकार किए जाते हैं।

गैर-मान्यता :

एक वित्तीय परिसंपत्ति की (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) मान्यता को मुख्य रुप से तब समाप्त कर दिया जाता है (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो अथवा
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया है या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है

या

ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है अथवा निकासी व्यवस्था प्रारंभ किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि उसने स्वामित्व के जोखिमों एवं उपलब्धियों को किस हद तक अधिकार में बनाए रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही परिसंपत्ति के सभी उपलब्धियों व जोखिम को बनाए रखा है और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया है। जब तक कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

वित्तीय संपत्ति की हानि

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार समूह निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए समूह अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि ऋण दस्तावेज है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बेलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो ऋण दस्तावेज है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से समूह को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख में जीवनकाल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारम्भिक तारीख से मान्यता देती है।

वित्तीय देयताएं –

प्रारंभिक मान्यता एवं माप-

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार शामिल है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरु में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में सीधे निवेल आरोप्य लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

आगामी माप (अनुवर्ती)

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर –

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

लाभ व हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रुप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रुप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। हालांकि कंपनी इक्विटी के भीतर संचित लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयता को निर्दिष्ट नहीं किया है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ –

यह श्रेणी कंपनी के लिए प्रासंगिक है। प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि

प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

गैर-मान्यता :

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करता है, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है क्योंकि यह इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देनदारियां होती है। जो वित्तीय परिसंपत्तियों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देनदारियां होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन पर संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मंडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा फिर से की जाती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो समूह के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है, के परिणामस्वरुप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण है गतिविधि की या तो शुरुआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी की परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछले स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करते हुए) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है

निम्नलिखित सारणी विविध पुन:वर्गीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण की प्रवधि दर्शाता है:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के भीच के अंतर को पीएंडएल में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसके नये सकल पिछली शेष राशि बन जाती है। इसी नई सकल पिछली शेष राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।

एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण की तारीख पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाएगा। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

वित्तीय विपत्रों की ऑफसेटिंग:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के ऑफसेट का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय हैं एवं परिसंपत्तियों की वसूली तथा देनदारियां दोनों का निवल आधार निपटान साथहो प्रवृत्ति की करने साथ-, तो निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में लिखा जाता है।

उधार लागत:

जहां उधार लागत सीधे तौर पर क्वालिफाईंग परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, उन्हें छोड़कर यथावश्यक उधार लागत को खर्च किया जाता है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए क्वालिफाईंग परिसंपत्ति तैयार होती है।

कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि चालू कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य विस्तृत आय के विवरण में जैसा कि वर्णित “आयकर पूर्व लाभ” से करयोग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें उस आय के व्यय का मद शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद शामिल हैं जो कभी करयोग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। चालू कर के लिए कंपनी की देनदारी का परिकलन कर की दरों का प्रयोग कर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित किए गए हैं या वास्तविक रूप में अधिनियमित किए गए हैं।

सामान्य तौर पर आस्थगित कर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी शेषों के लिए मान्यता दी जाती है। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है कि करयोग्य लाभ मौजूद करने की संभाव्यता रहेगी जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी शेषों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि शेष सद्भाव

अथवा लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों से उत्पन्न हुआ है जो न तो करयोग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नही किया जाएगा, उसे छोड़ कर अन्य अनुषंगियों एवं एसोसिएट में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी शेषों के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध करने रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों एवं परिसंपत्तियों का मापन कर के परिणाम को दर्शाता है जिसे कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की शेष राशि की वसूली या निपटारा करने की अपेक्षा के अनुरूप तरीके से पालन किया गया है।

वर्तमान एवं आस्थगित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब यह अन्य विस्तृत आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमश: अन्य विस्तृत कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा आस्थगित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय सम्मिश्रण के लिए लेखाकरण में कर के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक लाभ

जिस अवधि में लाभ होते हैं उसी अवधि में कर्मचारियों के सभी अल्पकालिक लाभ को स्वीकार किया जाता है।

नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

पारिभाषित अंशदायी योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के तहत कंपनी अलग सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) जिसका गठन कानून पारित कर किया गया हो और कंपनी कि अन्य किसी राशि के भुगतान करने के लिए विधिक या संरचनात्मक दायित्व नहीं होगी, के लिए रोजगार पश्चात लाभ एवं परिभाषित अंशदायी योजना है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों के लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ खर्चे के रूप में माना जाता है उस अवधि के जिसके दौरान कर्मचारी सेवाएं देते हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं-

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण (लाभ पर सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का के इस चालू बाजार मूल्य पर छूट की दर आधारित होती है। जिसकी परिपक्वता की तिथियां कंपनी के दायित्व की अवधि के लगभग होती एवं जिन मुद्रा में लाभ भुगतान की अपेक्षा है उस अवधि में वही मुद्रा प्रचलन में रहे।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिकलन भरावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित की है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई ऐसा है तो। रिपोर्टिंग की तारीख को भारतीय प्रतिभूतियों

परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः मापन किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजना को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

स्ट्रीपिंग एक्टिविटी व्यय/समायोजन

खुली खदान में खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से इसका अनुपालन सीएमपीडीआईएल द्वारा किया जाता है तथा इसका उल्लेख परियोजना रिपोर्ट में भी होता है) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं बैलेंस शीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लिखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं	
	I	II
	%	क्वांटम(मिलियन घन-मीटर में)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%	शून्य

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

वस्तु सूची

कोयले का भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से होती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

जहां बही भंडार तथा मापित भंडार के मध्य विभिन्नता +/ - 5 % तक है, वहां कोयला/कोक के बही भंडार को लेखा में लिया जाता है, तथा ऐसे मामले जहां यह अंतर +/- 5% से अधिक है, वहां मापित भंडार पर ही विचार किया जाता है। ऐसे भंडार का मूल्यांकन “शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत” जो भी कम हो, पर किया जाता है। कोयले को कोयला भंडार के भाग के लिए माना जाता है।

कोयला एवं कोक चूर्ण का मूल्यांकन लागत के न्यूनतम अथवा निवल प्राप्य मूल्य में किया जाता है तथा कोयले के भंडार के रुप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं परिसंपत्तियां

प्रावधान तब मान्य होते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त होती है और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक बैलेंस शीट पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके तो दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती है।

निर्णय, आंकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरुप वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, आकलन और अभिधारणा की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशियों, वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के प्रकटीकरण तथा प्रतिवेधित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय राशि को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक अनुमान को शामिल करते हुए लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में अभिधारणा के उपयोग का प्रकटीकरण किया गया है। समय - समय पर लेखांकन आकलन बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न भी हो सकते हैं। चालू आधार पर आकलन तथा अंतर्निहित अभिधारणाओं की समीक्षा की जाती है। लेखानुमान के संशोधनों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें आकलनों को संशोधित किया जाता है तथा यदि यह महत्वपूर्ण है, तो वित्तेय विवरण की टिप्पणियों में उनके प्रभाव को प्रकट किया जाता है।

निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

i. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना,

ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियों को परिलक्षित करना।

iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

iv. विवेकपूर्ण होते हैं, तथा

v. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ –साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है।

सामग्रियाँ –

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है।

इसके अलावा समूह अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

परिचालन पट्टा –

कंपनी ने पट्टा अनुबंध को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों कि मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि –

यदि किसी परिसंपत्ति का पिछला मूल्य अथवा नकद उत्पादन इकाई अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है जो अपने उचित मूल्य से अधिक और निपटान लागत से कम होता है एवं इसका मूल्य प्रयोग में है, तो वह हानि का संकेत है। हानि की जांच करने के उद्देश्य के लिए कंपनी विशेष खानों को अलग उत्पादन इकाइयों के रुप में मानती है। उपयोग की गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से नकदी प्राप्त किया जाता है और जो पुनर्गठन की गतिविधियों में शामिल नहीं होता है, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी। कर से संबन्धित जानकारी टिप्पण 39 में दर्शाया गया है।

योजनाओं के लाभ की परिभाषा –

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप –

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां –

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को केन्द्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा स्वीकार किया जाएगा है।

खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदान बंदी, साइट पुन;स्थापना व डिक्मीशनिंग दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यथा-निर्दिष्ट प्रत हेक्टर अनुमानित लागत्।
- छूट दर – 8%

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों

(₹ लाख में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	अन्य	कुल
वहन राशि:															
01.04.2016 के अनुसार		4,082.34							11.34						4,093.68
परिवर्धन									0.70						0.70
विलोपन / समायोजन									(0.40)						(0.40)
31 मार्च,2017 के अनुसार	-	**4,082.34**	-	-	-	-	-	-	**11.64**	-	-	-	-	-	**4,093.98**
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	4,082.34	-	-	-	-	-	-	11.64	-	-	-	-	-	4,093.98
परिवर्धन															-
विलोपन / समायोजन									(0.21)						-0.21
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	4,082.34	-	-	-	-	-	-	11.43	-	-	-	-	-	4,093.77
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01 अप्रैल 2016 के अनुसार		85.80							3.25						89.05
वर्ष के लिए शुल्क		85.78							3.43						89.21
हानि															-
विलोपन / समायोजन															-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	171.58	-	-	-	-	-	-	6.68	-	-	-	-	-	178.26
01 अप्रैल 2017 के अनुसार		171.58							6.68						178.26
वर्ष के लिए शुल्क		85.76							4.23						89.99
हानि															-
विलोपन / समायोजन									(0.89)						-0.89
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	257.34	-	-	-	-	-	-	10.01	-	-	-	-	-	267.36
निवल वहन राशि															
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	3,825.00	-	-	-	-	-	-	1.42	-	-	-	-	-	3,826.41
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	3,910.76	-	-	-	-	-	-	4.96	-	-	-	-	-	3,915.72
01 अप्रैल 2016 के अनुसार															

अनुलग्नक टिप्पणी 3
31.03.2018 के अनुसार

	तुलन पत्र के टिप्पणी सख्या -3 मे अतिरिक्त विवरण दर्शोया गया है	
	संपत्ति का विवरण	सकल राशि (₹)
1	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	
क)		
ख)		
	सकाल-योग	0
2	अन्य भूमि	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
3	भूमि पुनर्मूल्यांकन / साइट पुनर्स्थापन लागत	
क)		
ख)		
	सकाल-योग	0
4	इमारतें	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
5	संयंत्र और उपकरण	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
6	दूरसंचार	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
7	रेलवे सिडिंग	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
8	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	
क)		
ख)		
		0
9	कार्यालय उपकरण	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
10	वाहनों	
a)		
b)		
	सकल-योग	0
11	अन्य खनन बुनियादी ढांचा	
a)		
b)		
	सकल-योग	0
12	सर्वेक्षण बंद संपत्तियों	
a)		
b)		
	सकल-योग	0
	कुल योग	0

तुलन पत्र के टिप्पणी संख्या-3 में अतिरिक्त विवरण दर्शाया गया है

(₹ लाख में)

	शीर्ष	लागत	31.03.2018 को कुल निर्भर फंड	01.04.2017 को कुल निर्भर फंड
क.	**अमूर्त परिसंपत्तियाँ**			
1	**भूमि**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- ____ से - परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) एक समूह से दूसरे समूह में सामोहिक रूप से स्थानांतरण			
	- परिसंपत्ति का विविरण - समूहो का नाम	0.00	0.00	0.00
	iv)मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	v) राजस्व खाते में स्थानांतरण			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vi) अन्य समायोज			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**भवन / जल आपूर्ति / सड़कों और कल्वर**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	-परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	iv) एक समूह से दूसरे समूह में सामोहिक रूप से स्थानांतरण			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vii) अन्य समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**पी एंड एम**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	iv) डब्ल्यूआईपी से स्थानांतरण (स्टोर में पी एंड एम)			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vii) अन्य समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण (कारण)	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**

4	**फर्नीचर फिटिंग**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	iv) डब्ल्यूआईपी से स्थानांतरण (स्टोर में पी एंड एम)			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vii) अन्य समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण (कारण)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

5	**कार्यालय उपकरण**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	iv) डब्ल्यूआईपी से स्थानांतरण (स्टोर में पी एंड एम)			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vii) अन्य समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण (कारण)	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**

6	**वाहन**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	iv) डब्ल्यूआईपी से स्थानांतरण (स्टोर में पी एंड एम)			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण			
	- परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	vii) अन्य समायोजन			
	- परिसंपत्तियों का विवरण (कारण)	0.00	0.00	0.00
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**

7	**रेलवे सिडिंग**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों का विवरण			
	iv) डब्ल्यूआईपी से स्थानांतरण (स्टोर में पी एंड एम)	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	vii) अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण (कारण)			
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8	**दूरसंचार**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों का विवरण			
	iv) डब्ल्यूआईपी से स्थानांतरण (स्टोर में पी एंड एम)	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	vii) अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण (कारण)			
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9	**अन्य खनन बुनियादी ढांचा**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों का विवरण			
	iv) डब्ल्यूआईपी से स्थानांतरण (स्टोर में पी एंड एम)	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	vii) अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण (कारण)			
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10	**सर्वेक्षण बंद परिसंपत्तियाँ**			
	i) अन्य क्षेत्र से /स्थानांतरित			
	- क्षेत्र से ____ परिसंपत्तियों विवरण	0.00	0.00	0.00
	ii) अन्य कंपनी से/ स्थानांतरित			
	- से ____ - परिसंपत्ति विवरण	0.00	0.00	0.00
	iii) बंद का सर्वेक्षण/बंद आधारित / विलोपन			
	परिसंपत्तियों का विवरण	0.00	0.00	0.00
	परिसंपत्तियों का विवरण			
	iv) डब्ल्यूआईपी से स्थानांतरण (स्टोर में पी एंड एम)	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	vi) राजस्व खाते में स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण			
	vii) अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00
	- परिसंपत्तियों का विवरण (कारण)			
	कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

<u>टिप्पणी 4 : कैपिटल वैप</u>

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	**संयंत्र एवं उपकरणों**	**रेलवे साईडिंग**	**विकास**	**अन्य**	**कुल**
सकल वहन राशि:						
01 अप्रैल 2016 के अनुसार				1,951.04		1,951.04
परिवर्धन				154.60		154.60
पूंजीकरण						-
विलोपन / समायोजन						-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	2,105.64	-	2,105.64
						-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार				2,105.64		2,105.64
परिवर्धन				98.96		98.96
पूंजीकरण						-
विलोपन / समायोजन						-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	2,204.60	-	2,204.60
						-
संचित मूल्यह्रास और हानि						-
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
						-
01 अप्रैल 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण	-	-	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
निवल वहन राशि						
31 मार्च 2018 के अनुसार	-	-	-	2,204.60	-	2,204.60
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-	2,105.64	-	2,105.64

1.संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामलों मेन स्थापना लंबित खाते के कारण जिन्हे संयंत्र एवं मशीनों में रखा गया है इनके द्वारा मूल्यह्रास के समतुल्य का प्रावधान ताए यथा आवश्यक बट्टेखाते डालने के लिए कार्रवाई की जाती है । यदि संयंत्र एवं मशीन के कुल मद बाद में प्रयोग के लिए रखा जाता है जैसे प्रावधान करने के पश्चात प्रथम वर्ष के प्रयोग के बाद किए गए मूल्यह्रास वर्ष के लिए मूल्यह्रास है इसके अलावे मद के लिए लेखांकन समंजन के साथ प्रावधान मूल्यह्रास और इस प्रावधान के बीच है 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ ____ करोड़ प्रावधान इस लेखा में किया गया है ।

2. ₹ ___ लाख उपरोक्त विकास में खनन बुनियादी ढांचे के तहत रेलवे ट्रैक जैसे परिसंपत्तियों को सक्षम करना शामिल है

अनुलग्नक टिप्पणी -3

तुलन पत्र के टिप्पणी संख्या -4 में अतिरिक्त विवरण दर्शाया गया है

	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल राशि (₹)
1	इमारतें	
क)		
ख)		
		0
2	संयंत्र एवं उपकरण	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
3	रेलवे साइडिंग	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
4	विकाश	
क)	राजस्व प्रकृति खर्च	98.96
ख)		
	सकल-योग	98.96
4	अन्य	
क)		
ख)		
	सकल-योग	0
	कुल योग	98.96

अनुलग्नक टिप्पणी -4
31.03.2018 के अनुसार
तुलन पत्र के टिप्पणी 4 में अन्य समायोजन का विविरण

पूंजी गत कार्य (समायोजित/ विक्री/स्थानांतरण) प्रगतिपर ₹ लाख में

	शीर्ष	मूल्य	31.03.2018 के अनुसार मूल्यह्रस निधि	01.04.2017 के अनुसार मूल्यह्रस निधि
A.	**अमूर्त परिसंपत्ति**			
1	**भवन / जल आपूर्ति / सड़कों और कल्वर**			
	i) शीर्ष पूर्ण हेतु स्थानांतरण			
	- परिसंपत्ति विविरण - शीर्ष नाम	-	-	-
	ii) अन्य क्षेत्र से/ स्थानांतरण			
	- क्षेत्र _____ से / को - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	iii) अन्य कंपनी से / को स्थानांतरण			
	- से /को ____ - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	iv) एक समूह से अन्य समूह में समूह स्थानांतरण			
	- परिसंपत्ति विविरण- समूह का नाम	-	-	-
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
	- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	vi)राजस्व खाते में स्थानांतरण			
	- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	vii) अन्य समायोजन			
	- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	कुल	**-**	**-**	**-**
2	**पी और एम**			
	i) शीर्ष पूर्ण हेतु स्थानांतरण			
	- परिसंपत्ति विविरण - शीर्ष नाम	-	-	-
	ii) अन्य क्षेत्र से/ स्थानांतरण			
	- क्षेत्र _____ से / को - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	iii) अन्य कंपनी से / को स्थानांतरण			
	- से /को ____ - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	iv) एक समूह से अन्य समूह में समूह स्थानांतरण			
	- परिसंपत्ति विविरण- समूह का नाम	-	-	-
	v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
	- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	vi)राजस्व खाते में स्थानांतरण			
	- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	vii) अन्य समायोजन			
	- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	कुल	**-**	**-**	**-**
3	**रेलवे साइडिंग**			
	i) शीर्ष पूर्ण हेतु स्थानांतरण			
	- परिसंपत्ति विविरण - शीर्ष नाम	-	-	-
	ii) अन्य क्षेत्र से/ स्थानांतरण			
	- क्षेत्र _____ से / को - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
	iii) अन्य कंपनी से / को स्थानांतरण			
	- से /को ____ - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-

iv) एक समूह से अन्य समूह में समूह स्थानांतरण			
- परिसंपत्ति विविरण- समूह का नाम	-	-	-
v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
vi)राजस्व खाते में स्थानांतरण			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
vii) अन्य समायोजन			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**
4 **विकास**			
i) शीर्ष पूर्ण हेतु स्थानांतरण			
- परिसंपत्ति विविरण - शीर्ष नाम	-	-	-
ii) अन्य क्षेत्र से/ स्थानांतरण			
- क्षेत्र _____ से / को - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
iii) अन्य कंपनी से / को स्थानांतरण			
- से /को ____ - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
iv) एक समूह से अन्य समूह में समूह स्थानांतरण			
- परिसंपत्ति विविरण- समूह का नाम	-	-	-
v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
vi)राजस्व खाते में स्थानांतरण			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
vii) अन्य समायोजन			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**
5 **अन्य**			
i) शीर्ष पूर्ण हेतु स्थानांतरण			
- परिसंपत्ति विविरण - शीर्ष नाम	-	-	-
ii) अन्य क्षेत्र से/ स्थानांतरण			
- क्षेत्र _____ से / को - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
iii) अन्य कंपनी से / को स्थानांतरण			
- से /को ____ - परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
iv) एक समूह से अन्य समूह में समूह स्थानांतरण			
- परिसंपत्ति विविरण- समूह का नाम	-	-	-
v) मुख्यालय प्रविष्टि के लिए समायोजन			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
vi)राजस्व खाते में स्थानांतरण			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
vii) अन्य समायोजन			
- परिसंपत्ति विविरण	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**
कुल योग	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹.लाख में

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2016 के अनुसार	1,531.92
परिवर्धन	
विलोपन / समायोजन	
31 मार्च 2017 के अनुसार	1,531.92
01.04.2017 के अनुसार	1,531.92
परिवर्धन	
विलोपन / समायोजन	
31 सितंबर 2018 के अनुसार	1,531.92
संचित प्रावधान और हानि	
01.04.2016 के अनुसार	
वर्ष के लिए शुल्क	
हानि	
पूंजीकरण / विलोपन	
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
01.04.2017 के अनुसार	
वर्ष के लिए शुल्क	
हानि	
पूंजीकरण / विलोपन	
31 सितंबर 2018 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
30सितंबर 2018 के अनुसार	1,531.92
31 मार्च 2017 के अनुसार	1,531.92

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अन्य असंगत परिसंपत्तियाँ

(₹.लाख में

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:			
01.04.2016 के अनुसार			-
परिवर्धन			-
विलोपन / समायोजन			-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-
01.04.2017 के अनुसार			-
परिवर्धन			-
विलोपन / समायोजन			-
31 सितंबर 2018 के अनुसार	-	-	-
संचित प्रावधान और हानि			
01.04.2016 के अनुसार			-
वर्ष के लिए शुल्क			-
हानि			-
पूंजीकरण / विलोपन			-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-
01.04.2017 के अनुसार			-
वर्ष के लिए शुल्क			-
हानि			-
पूंजीकरण / विलोपन			-
31 सितंबर 2018 के अनुसार	-	-	-
निवल वहन राशि			
30सितंबर 2018 के अनुसार	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी - 7 : निवेश

(₹.लाख में

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार
गैर चालू		
शेयर में निवेश		
सहायक कंपनी में ईक्विट शेयर/ संयुक्त उद्धयम		
अन्य निवेश		
सुरक्षित बांड में		
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड		
8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड		
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड		
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड		
सहकारी शेयर		
कुल :	-	-

उद्धृत निवेश की कुल राशि
उद्धृत निवेश की कुल राशि
उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य
मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि

वर्गीकरण के लिए नोट 38(1) देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 (जारी.)

निवेश
चालू

₹. लाख में

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
व्यापार अनुद्धृत म्यूचुअल फ़ंड में निवेश		
यूटीआई मनी मार्केट फंड		
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड		
केनारा रोबेको लिक्विड फंड		
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड		
	-	-
महाराष्ट्र राज विद्धुत बोर्ड		
पश्चिम बंगाल राज विद्धुत बोर्ड		
	-	-
कुल :	-	-

उद्धत निवेश का योग

उद्धृत निवेश की कुल राशि

उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य

मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि

वर्गीकरण के लिए नोट 38(1) देखें

समेकित विविरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 8 : ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू		
संबंधित पार्टी को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाव: संदेहास्पद के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाव: संदेहास्पद के लिए भत्ता		
	-	-
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाव: संदेहास्पद के लिए भत्ता		
	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
चालू		
संबंधित पार्टी को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव: संदेहास्पद के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव: संदेहास्पद के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य ऋणo be specified in note)		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाव: संदेहास्पद के लिए भत्ता	-	-
	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-

वर्गीकरण के लिए नोट 38(3) देखें

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 9 :अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू		
बैंक जमा		
बैंक के अंतर्गत जमा		
माइन क्लोजर योजना		
स्थानांतरण और पूनर्वास निधि योजना		
माइन क्लोजर का खर्च एस्क्रो खाते से प्राप्त		
अन्य जमा		
घटावः संदेहास्पद जमा का भत्ता		
	-	-
सूरक्षा जमा उपयोगिता		
घटावः संदेहास्पद जमा का भत्ता		
	-	-
अन्वेषण कार्य के लिए प्राप्य		
घटावः संदेहास्पद भत्ता		
	-	-
अन्य प्राप्य		
घटावः संदेहास्पद प्राप्य भत्ता		
	-	-
कुल	-	-
चालू		
सीआईएल के साथ अधिशेष निधि		
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ शेष		
माइन क्लोजर का खर्च एस्क्रो खाते से प्राप्त		
चालू खाते के साथ		
सीआईएल-आईआईसीएम अन्य अनुषांगिक/होलडिंग		
घटावः संदेहास्पद अग्रिम भत्ता		
	-	-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
अर्जित व्याज		
निवेश		
बैंक जमा	46.32	81.31
अन्य		
अन्य जमा		
घटावः संदेहास्पद अग्रिम भत्ता		
	-	-
दावा प्राप्य		
घटावः संदेहास्पद दावा भत्ता		
	-	-
अन्य प्राप्य		
घटावः संदेहास्पद दावा भत्ता		
कुल	**46.32**	**81.31**

1.नोट 21 देखें (फुटनोट (1))
नोटः वर्गीकरण के लिए नोट 38 (3) देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 10 : अन्य गैर- चालू परिसंपातियाँ

(₹.लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(i) पूंजीगत अग्रिम		
घटाव: संदेहास्पत अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम		
(क)उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा		
घटाव: संदेहास्पत अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
(ख) अन्य जमा (to be specified in note)		
घटाव: संदेहास्पत अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम	-	-
(घ) राजस्व के लिए अग्रिम		
घटाव: संदेहास्पत अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	-
(ङ) खर्च पूर्व भुगतान	-	7.00
(च) अन्य		
कुल	-	7.00

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपातियाँ

(₹.लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क)पूंजीगत अग्रिम(वस्त्ओं और सेवाओं)		
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	**-**
(ख) सांविधिक बकाया का अग्रिम भ्गतान		
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान		
	-	**-**
(ग) संबंधित पार्टी के लिए अग्रिम		
	-	1.00
(घ) कर्मचारी के लिए अग्रिम	-	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**-**	**1.00**
(ड़) अन्य- अग्रिम		
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु दावा		
	-	**-**
(च) अन्य जमा(आय कर एवं टीडीएस)	228.19	254.46
घटाव : प्रावधान		
	228.19	**254.46**
(छ) केनवैट/ वैट क्रेडिट प्राप्य	2.65	2.65
घटाव: प्रावधान		
	2.65	**2.65**
(ज) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य -जीएसटी	**0.73**	
घटाव: प्रावधान		
	0.73	
(ञ) मैट क्रडिट एंटाईटलमेंट		
घटाव: प्रावधान		
	-	**-**
(i)खर्च पूर्व भ्गतान		
(j) अन्य प्राप्य		
घटाव: प्रावधान		
	-	**-**
कुल	**231.58**	**258.11**

अनुलग्नक टिप्पणी - 12

(मात्रा लाख टन में, मूल्य लाख रु. में)

तालिका:क

वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.17 को प्रारंभिक स्टॉक			-	-	0	0.00
(ख) 5% से अधिक कमी			-	-	-	-
लेखा में अपनाए गए स्टॉक		-			-	0.00
2. अवधि के दौरान उत्पादन		-	-	-	0	0.00
3. उप जोड़ (1क+2)	-	-	-	-	-	-
4. अवधि के दौरान ऑफ-टेक						
(क) बाहर प्रेषण			-	-	0	0.00
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत			-	-	0	0.00
कुल(क)	-	-	-	-	0	0.00
5. व्युत्पन्न स्टॉक	-		-	-	0	0.00
6. मापी गई स्टॉक			-	-	0	0.00
7. अंतर (5-6)	-	-	-	-	0.00	-
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर			-	-	0.00	0.00
(ख) 5% के भीतर कमी			-	-	0.00	0.00
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी			-	-	-	-
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	-	-	-	-	0.00	0.00

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश **तालिका:ख**

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5% से अधिक कमी			-	-							-	-
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऑफ टेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) वाशरियों मे कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन स्टॉक व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाव: कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अधिक			-	-								
अंतिम स्टॉक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टाक की वास्तविक जॉच की है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी दल के द्वारा समीक्षा की गई है। वास्तविक जॉच में यदि बुक स्टाक से +/- 5% तक का अंतर होता है तो लेखांकन नीति के तहत उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

5% से अधिक की कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	खदाने	बुक स्टॉक (परिमाण टन में)		मापे गए स्टॉक (परिमाण टन में)		% वेरियंस	
		31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
				-			
				-	-		
					-		
				-			
		-	-	-	-		

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(₹.लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) कोयले का भंडार		
विकासाधीन कोयला		
घटाव : प्रावधान		
कोयले का स्टॉक (निवल)	-	-
(ख) भंडार एवं पुर्जो का स्टॉक (लागत)		
जुड़ावो : मार्गस्थ भंडार		
घटाव:प्रावधान		
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)	-	-
(ग) **केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक**		
(घ) कर्मशाला संबंधी कार्य :		
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल		
घटाव : प्रावधान		
कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक	-	-
(ङ) प्रेस कार्य:		
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल		
	-	-
कुल	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 13 : व्यापार से प्राप्य

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
चालू		
व्यापार से प्राप्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		
- संदेहास्पद		
	-	-
घटाव : संदेहास्पद ऋण एवं बैड हेतु भत्ता		
कुल	**-**	**-**

1. किसी अन्य व्यक्ति के साथ अकेले या संयुक्त रूप से क्रमशः कंपनी के निदेशक या अन्य अधिकारी और निजी कंपनियों से व्यापार या अन्य प्राप्य बकाया नहीं है जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य हो ।

वर्गीकरण के लिए नोट 38 (3) देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगदी के समांतर

(₹. लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
(क) बैंक में नगद		
- जमा खातों में (परिपक्वता के साथ 3 महीने तक)		
- चालु लेखा में		
क.ब्याज सहित(सीएलटीडी लेखा इत्यादि)		
ख. गैर ब्याज असर	33.32	15.95
- नगद जमा लेखा में	-	-
(ख) भारत से बाहरी बैंक में नकद	-	-
(ग) हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(घ) हाथ में नगद	-	-
(ङ) भारत के बाहर हाथ में नगद	-	-
(च) अन्य	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य	33.32	15.95
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का नेट)	33.32	15.95
अनुसूचित बैंकों के अलावा किसी भी समय अवधि के दौरान बैंकों के साथ बकाया अधिकतम राशि	शून्य	शून्य

टिप्पणी:

1 नगद और नकद समकक्षों में हाथ या बैंक में नगत स्वीप लेखा बैंक में आवधिक जमा जिनकी वास्तविक तीन महीनो या उससे कम हो ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

	31.03.2018	31.03.2017
बैंक में शेष		
- जमा लेखा		
क. सावधि जमा ((परिपक्वता के साथ 3 महीने तक)	-	-
ख. सीएलटीडी लेखा	1,570.80	2,393.41
खदान बंद योजना	-	-
अभुक्त लाभांश लेखा	-	-
- लाभांश लेखा	-	-
कुल	**1,570.80**	**2,393.41**

बैंकों के साथ शेष राशि को उधार लेने के लिए धन सीमा तथा सुरक्षा के रूप में रखा गया है ।	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

अधिकृत	**31.03.2018 के अनुसार**	**31.03.2017 के अनुसार**
प्रत्येक ₹. 10/ का 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
जारी, सदस्यता और भुगतान		
प्रत्येक ₹. 10/ का 9,51,00,000 इक्विटी शेयर	9,510.00	9,510.00
	9,510.00	**9,510.00**

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के

शेयरधारकों के नाम	**शेयरधारकों की संख्या (10 रूपए प्रत्येक का)**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**
एमसीएल (धारक कंपनी)	**57060000**	**60**
जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड	**10461000**	**11**
जेएसडबल्यू एनर्जि लिमिटेड	**10461000**	**11**
जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड	**8559000**	**9**
श्याम मेटालिक एंड एनेर्जी लिमिटे	**8559000**	**9**
कुल	**95100000**	**100**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व				
01.04.2016 के अनुसार शेष				**(101.32)**		**(101.32)**
वर्ष के दौरान बृद्धि						-
लेखांकन नीति में परिवर्तन						-
पूर्व अर्वाधि त्रुटियाँ						-
01.04.2016 के अनुसार पुनःघोषित शेष	-	-	-	(101.32)	-	**(101.32)**
वर्ष के दौरान बृद्धि						-
वर्ष के दौरान समायोजन						-
वर्ष के दौरान लाभ						-
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय						-
विनियोग						-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण						-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण						-
अंतरिम लाभांश						-
अंतिम लाभांश						-
कॉर्पोरेट लाभांश कर						-
कॉर्पोरेट लाभांश कर						-
31.03.2017 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**-**	**(101.32)**	-	**(101.32)**
01.04.2017 को अनुसार शेष	-	-	-	(101.32)	-	**(101.32)**
वर्ष के दौरान बृद्धि						-
वर्ष के दौरान समायोजन						-
लेखांकन नीति में परिवर्तन						-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ						-
वर्ष के दौरान लाभ						-
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय						-
विनियोग						-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण						-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण						-
अंतरिम लाभांश						-
अंतिम लाभांश						-
कॉर्पोरेट लाभांश कर						-
इक्विटी शेयरों की वापसी						-
वापसी खरीद पर कर						-
31.03.2018 के अनुसार	**-**	**-**	**-**	**(101.32)**	**-**	**(101.32)**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 18: उधारी

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
नेशनल बैंक ऑफ पेरिस एवं नटेक्सिस बैंक , फ़्रांस		
संबंधित पार्टियों से ऋण		
अन्य ऋण o be specified in note)		
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित		
असुरक्षित		
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों से		
-अन्य पार्टियों से		
संबंधित पार्टियों से ऋण		
अन्य ऋण be specified in note)		
कुल	-	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित		
असुरक्षित		

वर्गीकरण के लिए नोट 38 (1) देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	**31.03.2017 के अनुसार**
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान		
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जों		
-ऊर्जा एवं ईंधन		
-अन्य खर्च ve mखajor breakup in note)		
कुल	-	-

वर्गीकरण के लिए नोट 38 (3) देखें

एमएसएमई को बकाया राशि और ब्याज यदि कोई हो, की समय वृद्धि

अवधि	**31-Mar-18**	**31-Mar-17**
15 दिनों के भीतर बकाया		
16 से 30 दिनों के भीतर बकाया राशि		
31 से 45 दिनों के भीतर बकाया राशि		
45 दिनों से अधिक बकाया राशि		
कुल एमएसएमई लेनदारों		

एमएसएमई लेनदारों में ₹.________ की अवैतनिक एमएसएमई लेनदारों के खिलाफ ब्याज शामिल है (₹._____ 31.03.18 के अनुसार)।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
गैर चालू		
सुरक्षा जमा		
अग्रिम राशि		
अन्य		
	-	-
चालू		
होल्डिंग कंपनी एमएलसी का चालू खाता	17.82	879.00
अल्पसंख्यक शेयरधारकों का चालू खाता		
जेएसडबल्यू एनेर्जी लिमिटेड	2.23	2.23
एसएमईएल	1.48	1.48
आईआईसीएम के चालू खाता		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
अभुक्त लाभांश *		
सुरक्षा जमा	3.36	3.41
अग्रिम राशि	1.61	1.70
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयता		
अन्य	6.63	6.93
कुल	**33.13**	**894.75**

टिप्पणी : 1
टिप्पणी : 2

*निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के भुगतान के लिए कोई राशि नहीं है

वर्गीकरण के लिए नोट 38 (3) देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

	(₹ लाख में)	
	As at	
	31.03.2018 के अनुसार	**31.03.2017 के अनुसार**
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी		
छुट्टी नकदीकरण		
-अन्य कर्मचारी हितलाभ		
	-	-
साइट बहाली/खदान बंदी		
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		
अन्य		
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
ग्रैच्युटी		
छुट्टी नकदीकरण		
अनुग्रह राशि		
-पीआरपी		
-अन्य कर्मचारी हितलाभ	2.68	3.38
-एनसीडबल्यूए - 10		
-अधिकारी वेतन संशोधन		
	2.68	3.38
साइट बहाली/खदान बंदी		
कोयले के समापन स्टॉक पर उत्पाद शुल्क		
कोयला गुणवत्ता भिन्नता		
अन्य (to be specified in note)		
कुल	**2.68**	**3.38**

टिप्पणी:-

1. 1. 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान भुगतान किया गया उपदान की राशि ____ लाख रुपये है।

2.खदान बंदी के लिए प्रावधान
खदान बंदी योजना को बनाने के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए एक प्रावधान किया गया। एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी) के तकनीकी मूल्याकन के अनुसार बनाए जाते हैं । प्रत्येक खदान बंदी व्ययों के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा यथा मूल्यांकित) के लिए देयता में 8% की छुट दी गई है तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी देयता को पूंजीकृत किया गया है। 31.03.2018 के अनुसार प्रावधानों को पूरा करने के लिए डिस्काउंट को अनदेखा करके अनुवर्ती वर्ष में प्रावधान का पुनःमूल्यांकन किया गया है।

3. 31.03.2018 के तहत कर्मचारियों के अन्य हित लाभ (चालू) जिसमे सेवानिवृत लाभ के लिए 9.84 % की दर से ₹ _________ करोड़ प्रावधान किया गया ।

5. गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूर समझौता (एनसीडबल्यूए -X) दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी होगा एवं जो 10 अक्टूबर 2017 तक अंतिम रूप दिया गया तथा एनसीडबल्यूए-X के अनुसार गैर सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अक्टूबर 2017 से प्रारम्भ किया जा चुका है । एनसीडबल्यूए -X के तहत वकाया राशि 01.04.2017 से 30.09.2017 तक ₹._________ लाख का प्रावधान किया गया, जो 01.07.2016 से 30.09.2017 तक की कुल अवधि हेतु कुल प्रावधान ₹._________ लाख बनता है तदर्थ भुगतान के रूप में ₹._________ लाख का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान टिप्पण- 11 में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है ।

6. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के तहत सार्वजनिक उद्धयम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन (एमओ) संख्या. W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIII/17 दिनांक 3 अगस्त,2017 को परिसंचालित किया गया जिसमें बोर्ड स्तर के अधिकारियों और बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारियों और गैर संघीय पर्यावेक्षकों (सीपीएसई) के वेतन और भर्ते में संशोधन किया गया जो 01.01.2017 से प्रभावी है ।

वित्तीय विवरणों में दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए ₹.______ लाख सामील किया गया है अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए @ ₹.18000 का प्रावधान स्वीकार किया गया है इसमें अधियाकरियों के वेतन के सभी अंशो (इसमें नियोक्ता का पीएफ़ योगदान) अंकलित प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों के अन्य हित लाभ तथा डीपीई दिशानिर्देशों के तहत सभी सेवानिवृत लाभ का अंतिम अनुपालन लंबित है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू दायिताएँ

(₹ लाख में)

	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार
स्थानांतरण और पूनर्वास निधि		
आस्थगित आय		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू दायिताएँ

(₹ लाख में)
(₹ लाख में)

	31.03.2018		31.03.2017	
पूंजीगत व्यय				
वैधानिक बकाया:				
वस्तुएं एवं सेवा-कर				
जीएसटी मुआवजा उपकर				
विक्रय कर/ वैट				
भविष्य निधि और अन्य				
केंद्रीय उत्पाद शुल्क				
रॉयल्टी और कोयला पर उपकर				
स्टोइंग उत्पाद शुल्क				
स्वच्छ ऊर्जा उपकर				
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट				
जिला खनिज फाउंडेशन				
अन्य वैधानिक लेवी				
आयकर की कटौती / स्रोत पर एकत्र	0.45	0.45	2.25	2.25
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य				
लाभांश वितरण पर कर		-		-
अन्य देयताएं				
कुल		**0.45**		**2.25**

टिप्पणी:

ओड़िशा सरकार से प्राप्ति की तुलना में दिनांक 31.7.2001 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निर्देश के अनुसार वर्ष 2005-06 में अन्य देयताओं में कोयले पर उपकर में ₹ ______ लाख (निवल भुगतान) और ₹ ______लाख (निवल भुगतान) का ब्याज शामिल है। ग्राहकों को धन वापसी योग्य है।चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपकर देयता की अप्रदत्त राशि के लिए 12% की दर से गणना कर ₹ _____ लाख (31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹.______ लाख) का ब्याज प्रदान किया है।इस प्रकार 31.03.2018 को शामिल कुल देयता ₹._______ लाख 31.03.2017 को ₹._____ लाख) हो गई। कंपनी उन ग्राहकों / पार्टियों की पहचान नहीं कर सकी है जिन्हे धन वापस किया जाना है। ग्राहकों / पार्टियों को धनवापसी के लिए तरीकों का अंतिम रूप देना अभी तक किया जाना बाकी है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

	31.03.2018 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
क. कोयले का विक्रय		
घटाव :अन्य वैधानिक लेवी		
रॉयल्टी		
सामान और सेवा कर		
जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस		
कोयले पर सेस		
स्टोइंग उत्पाद शुल्क		
केंद्रीय विक्रय कर		
स्वच्छ ऊर्जा सेस		
राज्य विक्रय कर/वैट		
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट		
जिला खनिज फाउंडेशन		
अन्य लेवी		
कुल लेवी		
विक्रय (निवल) (क)	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व		
कोयला आयात हेतु सुविधा प्रभार	-	-
बालू भरने और सुरक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान		
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार		
घटाव :अन्य वैधानिक लेवी		
	-	-
निकासी शुल्क की सुविधा		-
घटाव: लेवी		-
	-	-
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क+ख)	-	-

टिप्पणी:-

1.बालू भरण और सुरक्षा कार्यों के लिए सब्सिडी के रूप में, कोयला खानों में (संरक्षण और विकास) के लिए कोयला मंत्रालय,के अधिनियम, 1974 के तहत कोयला मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा वर्ष 31.03.2018 के दौरान बालू भरन और सुरक्षित कार्यों के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ₹.______ लाख दिए गए हैं। ।

2.वस्तु की बिक्री में उत्पाद शुल्क सहित ₹_____ लाख (31.03.2017 ₹______ लाख) और उत्पाद शुल्क सहित के वस्तु निवल की बिक्री ₹______लाख (31.03.2017 ₹______लाख) है।

3.लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क , उत्पाद शुल्क सहित में ₹. _____लाख (31.03.2017 ₹________ लाख) शामिल है । उत्पाद शुल्क का लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क निवल ₹______ लाख (31.03.2017 ₹_______ लाख) है।

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी 25 : अन्य आय

	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
<u>ब्याज आय</u>		
बैंक में जमा		
निवेश		
ऋण		
समूह के अंदर फ़ंड पाकर्ड		
अन्य		
<u>लाभांश आय</u>		
सहायक कंपनियों में निवेश		
म्यूचुअल फ़ंड में निवेश		
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (8.5% कर मुक्त		
<u>सहायक कंपनियों द्वारा शेयरों की बायबैक पर आय</u>		
<u>अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय</u>		
अपैक्स शुल्क		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ		
विनिमय दर भिन्नता		
पट्टा किराया		
देयता / प्रावधान का प्रतिलेखन		
स्टॉक में कमी पर एक्साइज ड्यूटी		
विविध आय		
कुल	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी 26 :सामग्री की लागत में खपत

	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
बिस्फोटक		
लकड़ी		
तेल एवं लुब्रिकेंट		
एचईएमएम के पुर्जे		
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जों		
कुल	-	-

टिप्पणी :	**प्रारंभिक**	**बृद्धि/समायोजन**	**समापन**
बिस्फोटक			
लकड़ी			
तेल एवं लुब्रिकेंट			
एचईएमएम के पुर्जे			
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जों			

टिप्पणी 27 : तैयार माल कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
प्रारंभिक कोयला स्टॉक		
योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन		
घटाव : कोयले का क्षरण		
	-	-
कोयले का अंतिम स्टॉक		
घटाव : कोयले का क्षरण		
	-	-
क कोयले की सूची में परिवर्तन	-	-
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक		
योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन		
घटाव: प्रावधान		
	-	-
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक		
घटाव: प्रावधान		
	-	-
ख कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i)तैयार माल		
ii)कार्य प्रगति पर		
	-	-
घटाव: प्रेस समाप्ति कार्य		
i)तैयार माल		
ii)कार्य प्रगति पर		
	-	-
ग प्रेस जॉब की समाप्ति स्टॉक की वस्तु सूची में परिवर्तन	-	-
व्यापार में स्टॉक की वस्तु सूची में बदलाव (क +ख + ग) {घटा / / (अधिग्रहण)}	-	-

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी-समेकित

टिप्पणी 28 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹. लाख में)

	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि		
राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के लिए प्रावधान (एनसीडबल्यूए) - X*		
अनुग्रह राशि		
पीआरपी		
पीएफ और अन्य फंड का योगदान		
उपदान		
छुट्टी नकदीकरण		
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति		
कामगार क्षतिपूर्ति		
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा		
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय		
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान		
खेल व मनोरंजन		
कैंटीन व क्रैच		
विद्युत - टाउनशिप		
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार		
अन्य कर्मचारी लाभ		
	-	-

* टिप्पणी 21 देखें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 29 :सीएसआर व्यय

(₹. लाख में)

	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
सीएसआर व्यय		
कुल	-	-

टिप्पणी 30 : मरम्मत

	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
बिल्डिंग		
संयंत्र एवं मशीनरी		
अन्य		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

(₹. लाख में)

	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
परिवहन शुल्क:		
- बालू		
- कोयला		
- भंडार एवं अन्य		
वैगन लदाई		
संयंत्र एवं उपकरणों को भाड़े पर लेना		
अन्य संविदात्मक कार्य		
कुल	-	-

टिप्पणी 32 :वित्तीय लागत

	31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
उधारी		
छूट को जारी रखना		
समूह के अंदर फ़ंड पर्क		
अन्य		
	-	-

वित्तीय विविरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट आफ रिवर्सल)

(₹ लाख में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) भर्त्ते/प्रावधान के लिए		
संदिग्ध ऋण		
कोयला गुणवत्ता भिन्नता		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे		
भंडार एवं पुर्जे		
अन्य		
कुल(क)	-	-
(ख) भत्ते / प्रावधान रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण		
कोयला गुणवत्ता भिन्नता		
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे		
भंडार एवं पुर्जे		
अन्य		
कुल(ख)	-	-
कुल (क-ख)	-	-
टिप्पणी:		
1 **अन्य:- सृजित**		
पूंजी डब्लुआईपी		
सर्बेड आफ		
दावा प्राप्तियां	-	
विविध अग्रिम	-	
उत्पाद शुल्क	-	
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	
	-	-
अन्य:-रिवर्सल		
देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्य को		
बालुभरना और स्थिरीकरण		
उत्पाद शुल्क		-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर		-
सर्बेड आफ		-
	-	-

2 ग्रेड भिन्नता के लिए भत्ता / प्रावधान, अनुमानित क्रेडिट नोट्स की राशि है, जो नमूना परीक्षणों के परिणामों के आधार पर जारी की जा सकती हैं, जिनका इंतजार है।

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डालना (गत प्रावधानों को निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
संदिग्ध अग्रिम		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
कोयले का स्टाक		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
अन्य		
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		
	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विविरण के लिए टिप्पणी

नोट 35 : अन्य व्य

(₹ लाख में)

	31.03.2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरलू		
- ावदशा		
प्राशक्षण व्यय		
दूरभाष एव डाक खच		
ावज्ञापन एव प्रचार-प्रसार		
भाड़ा प्रभार		
डमरज		
दान /अशदान		
सुरक्षा व्यय		
साआइएल का सवा प्रभार		
भाड़ा प्रभार		
साएमपाडाआइ व्यय		
ावाधक व्यय		
बक प्रभार		
गस्ट हाऊस व्यय		
परामश शुल्क		
अडरलााडग शुल्क		
ाावक्रय/डिस्काड/सवआफ पारसपात्तिया पर हाान		
लखा पराक्षका का मानदय एव व्यय		
- लखा पराक्षा फास		
- कर सबधा मामल		
- अन्य सवाआ क ालए		
-व्यय का प्रातपूात		
आतारक एव लखा पराक्षा फास पर व्यय		
पुनवास शुल्क		
रायल्टा एव सस		
केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
जीएसटी		
ाकराया		
दर एव कर		
बामा		
ावदशा मुद्रा ावानमय पर हाान		
ावानयम दर म अतर स हाान		
पट्टा ाकराया		
बचाव/सुरक्षा हतु व्यय		
डड रन्ट/सरफस रन्ट		
साइाडग अनुरक्षण शुल्क		
भूाम/फसल क्षातपूात		
आर एड डा व्यय		
पयावरण आर वृक्षारापण व्यय		
शयरा क बायबक पर व्यय		
ाावध व्यय		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
चालू वर्ष		
स्थगित कर		
एमएटी क्रेडिट इनटाइटलमेंट		
पिछले वर्षों में		
कुल	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य वृहद आय

(₹. लाख में)

		31.03.2018 को समाप्त अवधि के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त अवधि के अनुसार
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमाप		
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण		
	एफ़वीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयाताओं के स्वयं के क्रेडिट		
	जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर		
		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमाप		
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण		
	एफ़वीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयाताओं के स्वयं के क्रेडिट		
	जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर		
		-	-
	कुल(क)	-	-
(ख)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	किसी विदेशी संचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर		
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन		
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर		
		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर		
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन		
	नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर		
		-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	-	-

नोट-38: 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य मापन

क. वर्ग के अनुसार वित्तीय साधन

	31 मार्च, 2018			31 मार्च, 2017		
	एफ़.वी.टी.पी.एल.	**एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई.**	**परिशोधित लागत**	**एफ़.वी.टी.पी.एल.**	**एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई.**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश :						
सुरक्षित बॉन्ड						
अनुषंगी कंपनी में अधिमानी शेयर						
म्यूचुअल फंड						
ऋण						
जमा एवं प्राप्य			3.54			1.70
व्यापार प्राप्य						
नगद एवं नगद समतुल्य			21.13			1.14
अन्य बैंक शेष						
वित्तीय देयताएं						
उधार						
व्यापार देय			68.45			38.07
प्रतिभूति जमा एवं बयाना						
अन्य देयताएं			2218.18			929.54

ख. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता को दर्शाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत् निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में दर्शाया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं को मापा गया-आवर्ती उचित मूल्य मापन	**31 मार्च, 2018**			**31 मार्च, 2017**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
म्यूचुअल फ़ंड						
वित्तीय देयताएँ						
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक 31 मार्च, 2018 की समाप्ति पर किया गया।	**31 मार्च, 2018**			**31 मार्च, 2017**		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय संपत्तियां						
निवेश						
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर						
म्यूचुअल फ़ंड						
वित्तीय देयताएं						
अधिमानी शेयर						
उधार राशियाँ						
व्यापार देनदारियाँ			68.45			38.07
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि						
अन्य देयताएँ			2218.18			929.54

कंपनी वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों को उपयोग में लाती है, जो कि उचित मूल्य पर पहचाने और मापे जाते हैं। निष्पक्ष मूल्य निर्धारित करने हेतु उपयोग किये गए इनपुटों की विश्वासनियता के संबंध में कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानकों के तहत् तीन निर्धारित स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की व्याख्या नीचे दी गई हैः-

स्तर 1: स्तर 1 में पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित होता है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकड़ों के उपयोग को अधिक बढ़ाते हैं एवं जो इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा।

असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, अधिमान्य शेयरों, उधार, प्रतिभूति जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग :

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजारों में उपकरणों के उद्धृत कीमत भी शामिल हैं।

घ. महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्टियां का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन।

वर्तमान में कोई भी महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष निविष्टियों का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

ङ. वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

- व्यापार प्राप्तियों की कैरिंग राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समतुल्य तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान उनके देय अल्पावधि प्रकृति में विचार किया गया है।

- कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत् अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त धारणा को निर्धारित करने हेतु है एक पद्धति का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समतुल्य शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा नगदी जोखिम को उजागर करती है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के सरकारी ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम के अनुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

समूह बाजार जोखिम, ऋण जोखिम तथा नगदी जोखिम को उजागर करती है। यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई. दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट लिमिट एवं अन्य प्रतिभूति का विविधिकरण
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन की उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं INR में नामित नहीं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नगद एवं नगद समतुल्य, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डी.पी.ई. के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम** - क्रेडिट जोखिम, नगद एवं नगदी समतुल्य, परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन - वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध- एन.सी.डी.पी. के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहक या अंतिम ग्राहक के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफ.एस.ए. में प्रवेश करवाते हैं। हमारे एफ.एस.ए. को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है-

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पी.पी.यू.एस.) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) ग्राहकों के साथ (एफ.एस.ए.)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपटिव पावर प्लांट सहित (सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसए।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना - जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो द्रीघावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा एमओसी द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क) नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

i. **वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक छूटरहित नगद प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता **दिनांक-31.03.18**	**3 माह से कम**	**3 माह से 6 माह**	**6 माह से 1 वर्ष**	**1 वर्ष से 2 वर्ष**	**2 से 5 वर्ष**	**कुल**
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	68.45					68.45
अन्य वित्तीय देयदताएं	2218.18					2218.18
कुल	2286.63					2286.63

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता **दिनांक-31.03.2017**	**3 माह से कम**	**3 माह से 6 माह**	**6 माह से 1 वर्ष**	**1 वर्ष से 2 वर्ष**	**2 से 5 वर्ष**	**कुल**
उधार						
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	38.07					38.07
अन्य वित्तीय देयदताएं	929.54					929.54
कुल	967.61					967.61

ख. बाजार जोखिम

अ. विदेशी मुद्रा जोखिम :

समूह, विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम को उजागर करती है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम नगण्य माना जायेगा है। नियमित अनुवर्ती द्वारा समूह आयातों एवं जोखिमों को व्यवस्थित भी करता है। जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है, तब कंपनी के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

आ. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर में बदलाव के साथ कंपनी के मुख्य ब्याज दर बैंक जमा जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होता है, जो कंपनी के नगदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम को दर्शाता है। कंपनी नीति अपने अधिकतर जमा को तय दर पर रखती है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

i) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ व हानि के विवरण (टिप्पणी-28) में किये गए निधि (..........लाख रुपए) का योगदान स्वीकार किया गया है।

4. अपरिचित मद

क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया (ब्याज सहित, जहां पर लागू हो)

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया			
		31.03.2018	**31.03.2017**
1	**केंद्रीय सरकार** **क.** रायल्टी(एनएमईटी) **ख.** केंद्रीय उत्पाद शुल्क **ग.** स्वच्छ ऊर्जा उपकर **घ.** विलंब शुल्क **ङ.** अनुलाभ कर **च.** रेलवे पुन:स्थापन कर **छ.** सेवा कर **ज.** आय कर **i.** अन्य मद ((डिस्कलोज द नेचर)		
2	राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारियों **क.** विक्रय कर **ख.** स्टॉम्प शुल्क **ग.** रायल्टी **घ.** जल कर **ङ.** प्रवेश कर/ओईटी **च.** भूमि विवाद **छ.** सतह का किराया **ज.** अन्य मद (डिस्कलोज द नेचर)		
3	**केंद्रीय सार्वजनिक उद्‌यम** **क.** मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा **ख.** अन्य मद (डिस्कलोज द नेचर)		

4	**अन्य** क. पुनर्वास एवं पुन:स्थापना शुल्क ख. क्षतिपूर्ति ग. कोयला परिवहन घ. मध्यस्थता एवं सिविल मुकदमा ङ. कंपनी के खिलाफ अन्य मुकदमा च. अन्य मद (डिस्कलोज द नेचर)		
	कुल		

ख. प्रतिबद्धता

बचे हुए संविदा के आकलित राशि को पूंजीगत खाता में निष्पादन हेतु समावेश किया जाये और जिसे उपलब्ध न कराया गया हो।

अन्य : (राजस्व प्रतिबद्धता)

ग. **शाख पत्र :**

दिनांक 31.03.2018 तक बकाया शाख पत्र ...... (31.03.2017 के अनुसार ...... लाख) लाख रुपए हैं। रुपए एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत........ लाख रुपए (31.03.2017 के अनुसार .....लाख रुपए)।

5. अन्य जानकारी

क. सरकारी सहायता :

31.03.2018 को समाप्त तिमाही के दौरान एनईसी द्वारा सैण्ड स्टोइंग एवं संरक्षणात्मक कार्य के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के संदर्भ में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से रू......................का छूट प्राप्त की गई है।

सी.सी.डी.ए. अनुदान..........रू कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़क और रेल बुनियादी ढ़ांचे के काम की सहायता के लिए पूंजी अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया और नोट-22 के तहत् स्थगित आय के रूप में खुलासा किया गया।

ख. **प्रावधान**

कर्मचारी हितलाभ को छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति तथा प्रवृत्ति जिसे दिनांक 31.03.2018 तक वास्तविक रूप से मूल्यांकित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

प्रावधान	**1.04.2017** के अनुसार प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरन बढ़ोत्तरी	अवधि के दौरान राइट बैक/ समायोजन	अनवाईडिंग छूट	**31.03.2018** के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संचित मुल्यह्रास संपत्तियों की हानि	0.08	1.12			1.20
नोट 4: पूंजीगत कार्य में प्रगति : सीडब्ल्यूआईपी के रुप में हानि					
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान हानि					
नोट 6:- विक्रय के लिए गैर चालू संपत्तियां प्रावधान: हानि					
नोट 8: ऋण : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :					
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : प्राप्य दावे: अन्य प्राप्य :					
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां:					

संदिग्ध अग्रिम : अंवेषित ड्रिलिंग कार्य उपयोगिता हेतु सुरक्षा जमा अन्य जमा					
नोट 11: अन्य चालू परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक देय राशि के लिए अग्रिम भुगतान बकायाः अन्य जमा : कर्मचारियों को अग्रिम:					
नोट 12: सूची: कोयला भंडार : भंडारों एवं पूर्जों का भंडार ड्ब्ल्यूआईपी एवं निर्मित माल					
नोट 13:व्यापार प्राप्य : अनुपयुक्त एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान					
नोट 20: चालू एवं गैर चालू प्रावधान प्रदर्शन संबंधित देय : एनसीडबल्यूए -X: खदान बंदी : अन्य :					

ग. **रिपोर्टिंग खंड**

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है, ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी, मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य यह एक एकल रिपोर्ट का ही भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है

	भारत	अन्य देश
राजस्व		

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि (लाख में)	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो		
अन्य		

स्थान के द्वारा कुल चालू परिसंपत्ति निम्नानुसार हैं-

	भारत	अन्य देश
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति		

घ. **समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेनदेन**

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते संबन्धित पार्टी लेनदेन एवं उत्कृष्ट शेष के संबंध में सरकारी नियंत्रण के साथ सामान्य प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में छूट देती है।

कंपनी ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो अपेक्स शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, आई.आई.सी.एम. शुल्क एवं चालू खाता द्वारा अन्य अनुषंगियों के पक्ष में किये गए अन्य व्यय के साथ लेनदेन में प्रवेश करते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेनदेन राशि एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

(लाख रूपये में)

कंपनी का नाम	कंपनी के साथ संबंध	वर्ष के दौरान लेनदेन राशि
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कंपनी में 64% शेयर	102.19
इरकॉन (IRCON) इंटरनेशनल लिमिटेड	कंपनी में 26% शेयर	3001.62
ओड़िशा औद्योगिक संरचना विकास निगम	कंपनी में 10% शेयर	

ड़. बीमा और वृद्धि दावा

बीमा और वृद्धि दावे के लेखा-जोखा का प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

च. लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह, दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

छ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ज. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ आकलित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

झ. शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं मिलान, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्टि शेष के लिए प्रावधान किये जाते हैं।

ञ. सी.आई.एफ. के आधार पर आयात मूल्य

(लाख रूपये में)

विवरण	31.03.2018 को समाप्त अवधि	31.12.2016 को समाप्त अवधि	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
(i) कच्चा माल			
(ii) पूंजीगत माल			
(iii) भंडार,पुर्जा एवं उपकरण			

ट. **विदेशी मुद्रा के लिए किए गए खर्च**

(लाख रूपये में)

विवरण	**31.03.2018 को समाप्त अवधि**	**31.12.2016 को समाप्त अवधि**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
यात्रा व्यय			
प्रशिक्षण व्यय			
परामर्श शुल्क			
ब्याज			
भंडार एवं पुर्जे			
पूंजीगत माल			
अन्य			

ठ. **विदेशी विनिमय में अर्जन**

विविरण	**31.03.2018 को समाप्त अवधि**	**31.12.2016 को समाप्त अवधि**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
यात्रा व्यय			
प्रशिक्षण व्यय			
परामर्श शुल्क			

ड. **भंडार एवं पुर्जों का कुल खपत**

(लाख रूपये में)

विवरण	**31.03.2018 को समाप्त अवधि**		**31.12.2016 को समाप्त अवधि**		**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामाग्री						
(ii) स्वदेशी						

ढ. **कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण**

(लाख रूपये एवं एमटी में परिमाण)

	31.03.2018 को समाप्त तिमाही		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक				
उत्पाद				
बिक्री				
स्व खपत				
बट्टे खाते में डालना				
क्लोजिंग स्टॉक				

ण. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत अंतर्निहित दिये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-**

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है।

दिनांक-31.03.2017 के अनुसार ऋण के संबंध में कंपनी द्वारा निगमित प्रतिभूति प्रदान की गई ।

(लाख रूपये में)

कंपनी का नाम	31.03.2018 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार

त. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-**

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय(एमसीए) द्वारा या अधिसूचित कंपनी द्वारा ग्रहित लेखांकन नीति (नोट-38) में संशोधन किया गया है, जिसके कारण पिछले वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उचित रुप से सुधार व उसे पुन: प्रारुपित किया गया था।

लेखा नीति में परिवर्तन के फलस्वरुप तथा अन्य बदलाव के अंतर्गत शुद्ध लाभ के साथ भारतीय लेखांकन मानक निम्नानुसार वर्णित किये गए हैं।

थ. अन्य : -

i) पिछले अवधि के आंकड़ो को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार दोहराया गया है और आवश्यकतानुसार पुन: एकत्र और पुन: व्यवस्थित भी किया गया है।

ii) 31 मार्च, 2018 के लिए नोट 3 से 23 तक उस तिथि के तुलनपत्र तथा नोट-24 से 37 तक उस तिथि को समाप्त तिमाही के लाभ-हानि के विवरण का हिस्सा है। नोट-2 महत्वपूर्ण लखांकन नीतियों तथा नोट 38 वित्तीय विवरण के अतिरिक्त नोट को प्रदर्शित करता है।

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(बी.पी. मिश्रा)	**(वी.वी.के. राजू)**	**(आर. पाणिग्रही)**
वरीय प्रबन्धक (वित्त)	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

कृते बिजय धनिराम एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या-324629E

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(के.आर. वासुदेवन)	**(जे.पी. सिंह)**	**(सी.ए. बी.के. अग्रवाल)**
निदेशक	**अध्यक्ष**	**प्रोपराइटर**
(सदस्य संख्या-060126)		

दिनांक-11.05.2018
स्थान-संबलपुर

एमजेएसजे कोल लिमिटेड, अनगुल

टिप्पण – 39

लेखा टिप्पण

1.0 एमसीएल की अनुषंगी के रूप में एमजेएसजे कोल लिमिटेड को 13 अगस्त 2008 को निगमित किया गया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी के सांझेदारों में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, (60% शेयर), जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड(11% शेयर), जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड (11% शेयर), श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड (9% शेयर) एवं जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड (9% शेयर) शामिल है। यह कंपनी तालचेर कोलफील्ड्स के उत्कल -ए तथा गोपालप्रसाद खुली खदान परियोजना के संबंध में (गोपालप्रसाद के पश्चिम क्षेत्र) गठित हुई है। इस परियोजना की क्षमता 15.00 मिलियन टन है तथा उच्च क्षमता 20.00 मिलियन टन है। यह परियोजना तालचेर कोलफील्ड्स के दक्षिण भाग में स्थित है।

2.0 पूंजीगत शेयर

प्राधिकृत पूंजी -रु. 20000 लाख।

जारी पूंजी - रु. 9510 लाख।

संयुक्त उद्यम का नाम		आवंटित शेयर पूंजी (रु लाख में)	प्रतिशत
एमसीएल		5706.00	60%
जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड		1046.10	11%
जेएसडबल्यू एनर्जी लिमिटेड		1046.10	11%
जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड		855.90	9%
श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड		855.90	9%
	कुल	9510.00	100%

3.0 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तालचेर द्वारा जारी किए गए बैंक गारंटी नंबर 50/48 (6) को कंपनी ने राष्ट्रपति, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पक्ष में 22.448 करोड़ रुपये की राशि जमा की है, जैसे कि एमजेएसजे कोल लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, जिसका प्रतिवाद के तहत दिनांक 01.12.2017 को 2 महीने (28.02.2018 तक) के लिए नवीनीकरण किया गया है, इसके लिए संख्या 50/48(6) का अवलोकन करे।

4.0 बीजी के 20 % कटौती (रु. 22.248 करोड़) के लिए कंपनी द्वारा किए गए अपील के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र संख्या एफएन -47011/7(6)/93-सीपीएएम /सीए, दिनांक 9 जुलाई 2013, को प्राप्त किया गया। कंपनी द्वारा प्रस्तावित / विस्तारित समय सीमा में लक्षित उत्पादन को पूरा करने में सक्षम नहीं होने के कारण यह प्रस्तावित कटौती की जाएगी।

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस. राऊत)	**(बी. घोष)**	**(एम. ब्रह्मपुरकर)**	**(ओ.पी. सिंह)**	**(के.आर. वासुदेवन)**
उप-प्रबंधक (वित्त)/ कंपनी सचिव	**सीएफ़ओ**	**सीईओ/महा.प्र.**	**निदेशक डीआईएन-07627471**	**अध्यक्ष डीआईएन-07915732**

हमारे संलग्नित प्रतिवेदन के अनुसार तथा
उनके तरफ से
मेसर्स एम.के. स्वाईं एवं सहयोगियाँ
सनदी लेखाकर

दिनांक : **27 .04.2018**

स्थान: संबलपुर

ह/-
(सीए मेसर्स एम.के. स्वाई)
सदस्यता संख्या - 057573

नगद प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹.लाख में

		31.03.2018 समाप्त अवधि के अनुसार	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार
परिचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह			
कर से पहले कुल व्यापक आय			
समायोजन के लिए:			
मूल्यह्रास /अचल संपत्तियों की हानि			
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज			
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित वित्त लागत			
ब्याज /निवेश से लाभांश			
संपातियों की बिक्री पर लाभ/हानि			
प्रावधान एवं अवधि के दौरान बट्टे खाते में डालना			
अवधि के दौरान देयता का प्रतिलेखन			
अग्रिम स्ट्रिपिंग गतिविधियों का समायोजन			
चालू/गैर-चालू परिसंपतियों और देनदरियों से पूर्व परिचालन लाभ ।		-	-
समायोजन के लिए:			
व्यापार स्वीकार्य			
वस्तुसूची			
लघु/दीर्घ अवधि ऋण/ अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपातियाँ		61.52	(29.53)
लघु/दीर्घ अवधि देयताएँ एवं प्रावधान		(864.11)	(6.17)
प्रचालन से नगद प्राप्ति		**(802.59)**	**(35.70)**
आय कर का भुगतान /वापसी			
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	(A)	**(802.59)**	**(35.70)**
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		(2.65)	(65.69)
बैंक जमा मे निवेश			
निवेश में बदलाव			
संयुक्त उद्यम में निवेश			
निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज			
निवेश से ब्याज/लाभांश			
निवेश गतिविधियों से निवल नगद	(B)	**(2.65)**	**(65.69)**
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह			
शेयर पजी का मद्दा			
उधार का पुनः भुगतान			
लघु अवधि उधार		-	139.09
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत			
स्थानांतरण और पुनर्वाश निधि की प्राप्ति			
लाभांश और लाभांश कर			
इक्विटी शेयर पूंजी का पुन: क्रय			
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	(C)	**-**	**139.09**
नगद एवं बैंक शेष में निवल वृद्दि/(कमी) (क+ख+ग)		**(805.24)**	**37.70**
नगद और बैंक शेष (प्रारंभिक शेष)		**2,409.36**	**2,371.66**
नगद और बैंक शेष (अंतिम शेष)		**1,604.12**	**2,409.36**

(कोष्टक के सभी आंकड़े आउटफ्लो को दर्शाते हैं)

हमारे रिपोर्ट के अनुसार संलग्न | **बोर्ड की तरफ से**

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(एस.राऊत)	(बी.घोष)	(एम. ब्रह्मपुरकर)	(ओ.पी . सिंह)	के .आर.वसुदेवन)
(उप. प्रबंधक(वित्त /	सीएफ़ओ	सीईओ/जीएम	निदेशक	अध्यक्ष
Company Secretary			डीआईएन-07627471	डीआईएन-07915732

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,मेसर्स एम.के.स्वाइन अँड असोसिएट
सनदी लेखाकर

एफ़आरएन– 323045ई

ह/-
सनदी लेखाकर एम.के.स्वाइन
सदस्य संख्या-057573

एमजेएसजे कोल लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)
घर न. 42, पथम तल्ला, आनंद नगर,
हाकिमपारा, अनुगुल-759153 (ओडिशा)

Printed at Five Star Printing Press, Burla